

मिलिट्री बाजार , रसुलगंज

महाल का कुल रकवा ए० डी०	गैरमजरुआ खास ए० डी०	गैरमजरुआ आम एवं डिस्ट्रिक्ट बोडी ए० डी०	केशरे हिन्द ए० डी०	पट्टा पर दी गई भूमि का रकवा ए० डी०	लीजधारी एवं जमावंदी रैयतों की संख्या	अतिक्रमित रकवा ए० डी०
3.7	0	0.195	0	3.505	26	0.007

खासमहाल क्षेत्र का सर्वेक्षण प्रपत्र

महाल का नाम मिल्ट्री बाजार रसुल गंज				तोजी न० 1333							
खसमहाल खतियान के अनुसार जमीन का व्योरा				अभिलेख के अनुसार लीजधारी का व्यौरा							
खाता	खेसरा	रकवा	नाम	पिता का नाम	पता	जमाबंदी सं०	रकवा	चौहदी	लीजवाद संख्या एवं वर्ष	स्वीकृत लीज की अवधि	लगान कब तक भुगतान है
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
001	11	0-0-12-7	अमृत साह	झालु साह	रसुल गंज	1	0-10-6		171/25-26		1955/1955
009	51	0-6-17-6	दर्शन साह			9	0-12-16-2		179/25-26		
001	52	0-6-0-7									
सर्वेक्षण के पश्चात किन व्यक्तियों / संस्था का कब्जा है।						लीज/केवाला/एटोर्नी पावर या अन्य प्रकार से है का उल्लेख करें	अवशेष रकवा	क्या सर्वेक्षित खसरा का कोई भाग अतिक्रमणकारी का नाम एवं पूरा पता	अगर अतिक्रमणकारी है तो अतिक्रमणकारी जमीन का रकवा, नक्सा/चौहदी के साथ	सर्वेक्षित खेसरा पर सरकारी भवन/ संस्था है तो उसका नाम एवं पता, दखल का आधार चौहदी के साथ उल्लेख करें	
नाम	पिता का नाम	पता	रकवा	चौहदी	लीज/केवाला/एटोर्नी पावर या अन्य प्रकार से है का उल्लेख करें	अवशेष रकवा	क्या सर्वेक्षित खसरा का कोई भाग अतिक्रमणकारी का नाम एवं पूरा पता	अगर अतिक्रमणकारी है तो अतिक्रमणकारी जमीन का रकवा, नक्सा/चौहदी के साथ	सर्वेक्षित खेसरा पर सरकारी भवन/ संस्था है तो उसका नाम एवं पता, दखल का आधार चौहदी के साथ उल्लेख करें		
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
अर्जुन नायक	स्व० छोटेलाल नायक	रसुलगंज गौरीपुर	0-13-10-0	उ०- बजरंगी नायक व जमुना नायक व सिद्धु यादव	केवाला 3718/9.7.66						
				द०- बजरंगी यादव व सोहन यादव	5904/15.12.61						
				पु०- सिमाना गौरीपुर	414/28.1.78						
				प०- रास्ता							
सर्वेक्षित खेसरा आवासीय है या व्यावसायिक, आंशिक या पूर्ण, पूर्ण व्योरा के साथ उल्लेख करें				कुल रकवा या अवशेष रकवा	अभ्युक्ति						
24				25		26					
भीट						शर्त का उल्लंघन किया है।					

खासमहाल क्षेत्र का सर्वेक्षण प्रपत्र

महाल का नाम मिल्ट्री बाजार रसुल गंज				तोजी न० 1333							
खसमहाल खतियान के अनुसार जमीन का व्योरा				अभिलेख के अनुसार लीजधारी का व्यौरा							
खाता	खेसरा	रकवा	नाम	पिता का नाम	पता	जमाबंदी सं०	रकवा	चौहदी	लीजवाद संख्या एवं वर्ष	स्वीकृत लीज की अवधि	लगान कब तक भुगतान है
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
001	41	0-3-13-6	अमरीत साह	झालु साह	रसुल गंज	1	0-10-6-0		171/25-26		1955
	42										
सर्वेक्षण के पश्चात किन व्यक्तियों / संस्था का कब्जा है।						लीज/केवाला/एटोर्नी पावर या अन्य प्रकार से है का उल्लेख करें	अवशेष रकवा	क्या सर्वेक्षित खसरा का कोई भाग अतिक्रमणकारी का नाम एवं पूरा पता	अगर अतिक्रमणकारी है तो अतिक्रमणकारी जमीन का रकवा, नक्सा/चौहदी के साथ	सर्वेक्षित खेसरा पर सरकारी भवन/ संस्था है तो उसका नाम एवं पता, दखल का आधार चौहदी के साथ उल्लेख करें	
नाम	पिता का नाम	पता	रकवा	चौहदी							
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
दिल मोहन नायक वगै०	रसुलगंज, गौरीपुर	0-8-13-6	उ०- पंचानन्द शर्मा	लीजधारी के उत्तराधिकारी							
			द०- सिमाना गौरीपुर, सडक								
			पु०- यमुना नायक								
			प०- मानो देवी								
सर्वेक्षित खेसरा आवासीय है या व्यावसायिक, आंशिक या पूर्ण, पूर्ण व्योरा के साथ उल्लेख करें				कुल रकवा या अवशेष रकवा	अभ्युक्ति						
24				25	26						
भीठ				दखलकार बाहर रहते हैं। खसरा न०-41 का रकवा खतियान में अंकित नहीं है। नापी से रकवा लगभग 0-5-0-0 है।							

खास महाल पदाधिकारी, मुंगेर

अपर समाहर्ता, मुंगेर

खासमहाल क्षेत्र का सर्वेक्षण प्रपत्र

महाल का नाम मिल्ट्री बाजार रसूल गंज				तोजी न० 1333							
खसमहाल खतियान के अनुसार जमीन का व्योरा				अभिलेख के अनुसार लीजधारी का व्यौरा							
खाता	खेसरा	रकवा	नाम	पिता का नाम	पता	जमाबंदी सं०	रकवा	चौहदी	लीजवाद संख्या एवं वर्ष	स्वीकृत लीज की अवधि	लगान कब तक भुगतान है
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
002	48	0-10-13-4	इन्दर साह व महाराज साह	वनु साह		2	0-10-13-4		172/25-26		1955
सर्वेक्षण के पश्चात किन व्यक्तियों / संस्था का कब्जा है।						लीज/केवाला/एटोर्नी पावर या अन्य प्रकार से है का उल्लेख करें	अवशेष रकवा	क्या सर्वेक्षित खसरा का कोई भाग अतिक्रमणकारी का नाम एवं पूरा पता	अगर अतिक्रमणकारी है तो अतिक्रमणकारी जमीन का रकवा, नक्सा/चौहदी के साथ	सर्वेक्षित खेसरा पर सरकारी भवन/ संस्था है तो उसका नाम एवं पता, दखल का आधार चौहदी के साथ उल्लेख करें	
नाम	पिता का नाम	पता	रकवा	चौहदी							
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
विजय नायक वो शंकर नायक	स्व० गोविन्द नायक	जमालपुर, नयागांव	0-10-13-4	उ०- सडक व शिवनन्दन नायक	लीज उत्तराधिकारी						
वकील नायक वो प्रमोद नायक	स्व० गोविन्द नायक			द०- सडक							
अजय नायक	स्व० गोविन्द नायक			पु०- सडक							
				प०- यमुना नायक वगैरह							
सर्वेक्षित खेसरा आवासीय है या व्यावसायिक , आंशिक या पूर्ण , पूर्ण व्योरा के साथ उल्लेख करें				कुल रकवा या अवशेष रकवा	अभ्युक्ति						
24				25	26						
भीठ बाडी				लीजधारी के वंशज							

खासमहाल क्षेत्र का सर्वेक्षण प्रपत्र

महाल का नाम मिल्ट्री बाजार रसुल गंज				तोजी न० 1333							
खसमहाल खतियान के अनुसार जमीन का व्योरा				अभिलेख के अनुसार लीजधारी का व्यौरा							
खाता	खेसरा	रकवा	नाम	पिता का नाम	पता	जमाबंदी सं०	रकवा	चौहदी	लीजवाद संख्या एवं वर्ष	स्वीकृत लीज की अवधि	लगान कब तक भुगतान है
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
003	34	0-2-8-0	सितावी मिस्त्री	मुंशी मिस्त्री	रसुल गंज	3	0-4-15		120/29-30	1959-60	
सर्वेक्षण के पश्चात किन व्यक्तियों / संस्था का कब्जा है।						लीज/केवाला/एटोर्नी पावर या अन्य प्रकार से है का उल्लेख करें	अवशेष रकवा	क्या सर्वेक्षित खसरा का कोई भाग अतिक्रमणकारी का नाम एवं पूरा पता	अगर अतिक्रमण है तो अतिक्रमण जमीन का रकवा, नक्सा/चौहदी के साथ	सर्वेक्षित खेसरा पर सरकारी भवन/ संस्था है तो उसका नाम एवं पता, दखल का आधार चौहदी के साथ उल्लेख करें	
नाम	पिता का नाम	पता	रकवा	चौहदी	19	20	21	22	23		
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
भागवत शर्मा	स्व० नसीव शर्मा	रसुल गंज गोरीपुर	0-1-10	उ०- निज	केवाला						
				दु०- हेमचन्द्र शर्मा वर्गे							
				पु०- वासुदेव शर्मा							
				प०- सडक							
सर्वेक्षित खेसरा आवासीय है या व्यावसायिक , आंशिक या पूर्ण , पूर्ण व्योरा के साथ उल्लेख करें				कुल रकवा या अवशेष रकवा	अभ्युक्ति						
24				25	26						
बाडी				दीनदयाल शर्मा से केवाला खरीद खरीद लिया गया है । शर्त का उल्लंघन किया गया है । केवाला नहीं दिखलाया ।							

खास महाल पदाधिकारी , मुंगेर

अपर समाहर्ता , मुंगेर

खासमहाल क्षेत्र का सर्वेक्षण प्रपत्र

महाल का नाम मिल्ट्री बाजार रसुल गंज				तोजी न० 1333							
खसमहाल खतियान के अनुसार जमीन का व्योरा				अभिलेख के अनुसार लीजधारी का व्यौरा							
खाता	खेसरा	रकवा	नाम	पिता का नाम	पता	जमाबंदी सं०	रकवा	चौहदी	लीजवाद संख्या एवं वर्ष	स्वीकृत लीज की अवधि	लगान कब तक भुगतान है
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004	21	0-2-8-0	काली साह	आलम साह	रसुल गंज	4	0-4-10		174/25-26	1955-56	
	22	0-2-2									
सर्वेक्षण के पश्चात किन व्यक्तियों / संस्था का कब्जा है।						लीज/केवाला/एटोर्नी पावर या अन्य प्रकार से है का उल्लेख करें	अवशेष रकवा	क्या सर्वेक्षित खसरा का कोई भाग अतिक्रमणकारी का नाम एवं पूरा पता	अगर अतिक्रमणकारी है तो अतिक्रमणकारी का नाम, नक्सा/चौहदी के साथ	सर्वेक्षित खेसरा पर सरकारी भवन/ संस्था है तो उसका नाम एवं पता, दखल का आधार चौहदी के साथ उल्लेख करें	
नाम	पिता का नाम	पता	रकवा	चौहदी	लीजधारी के पोत्र एवं पौत्री						
14	15	16	17	18	19						
सुदामा देवी	रामचरण साह	रसुलगंज गोरीपुर	0-0-12-0	उ०- रास्ता	लीजधारी के पोत्र एवं पौत्री						
सीताराम साह	स्व० जीवलाल साह		0-2-2-0	द०- महेन्द्र साह							
			0-2-14-0	पु०- गली							
				प०- मोहन साव व महेन्द्र साह							
सर्वेक्षित खेसरा आवासीय है या व्यावसायिक , आंशिक या पूर्ण , पूर्ण व्योरा के साथ उल्लेख करें			कुल रकवा या अवशेष रकवा	अभ्युक्ति							
24			25	26							
आवासीय एवं बाडी				खतियान में खेसरा न० 21 का रकवा 0.8.7.0 है जो गलत है ।नापी से रकवा 0.2.8.0 होता है ।							

खासमहाल क्षेत्र का सर्वेक्षण प्रपत्र

महाल का नाम मिल्ट्री बाजार रसुल गंज				तोजी न० 1333							
खसमहाल खतियान के अनुसार जमीन का व्योरा				अभिलेख के अनुसार लीजधारी का व्यौरा							
खाता	खेसरा	रकवा	नाम	पिता का नाम	पता	जमाबंदी सं०	रकवा	चौहदी	लीजवाद संख्या एवं वर्ष	स्वीकृत लीज की अवधि	लगान कब तक भुगतान है
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
006	28	0-1-10-0	चमरू साह	कल्लर साह	रसुल गंज	6	0-17-5-0		176/25-26	1955	
006	29	0-0-4-16	चमरू साह	कल्लर साह		23	1-6-7-8		193/25-26	1955	
006	30	0-3-13-0	चमरू साह	कल्लर साह		5	0-4-7-8		190/25-26	1955	
022	31	0-6-1-0	श्याम मिस्त्री	डोमन मिस्त्री		9	0-12-16-2		179/25-26	1955	
005	43	0-4-7-8	लुटन साह	लालजी साहु		10	0-3-2-4		180/25-26	1955	
009	44/45	0-6-6-8-12	दर्शन साह	झल्लु साह							
सर्वेक्षण के पश्चात किन व्यक्तियों / संस्था का कब्जा है।						लीज/केवाला/एटोर्नी पावर या अन्य प्रकार से है का उल्लेख करें	अवशेष रकवा	क्या सर्वेक्षित खसरा का कोई भाग अतिक्रमणकारी का नाम एवं पूरा पता	अगर अतिक्रमणकारी है तो अतिक्रमणकारी जमीन का रकवा, नक्सा/चौहदी के साथ	सर्वेक्षित खेसरा पर सरकारी भवन/ संस्था है तो उसका नाम एवं पता, दखल का आधार चौहदी के साथ उल्लेख करें	
नाम	पिता का नाम	पता	रकवा	चौहदी							
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
अर्जुन नायक	स्व० छोटेलाल नायक	रसुल गंज गोरीपुर	0-11-14-8-12	उ०- रास्ता व महेन्द्र साह	लीज उत्तराधिकारी						
				द०- यमुना नायक व विष्णुदेव नायक							
				पु०- पंकज नायक							
				प०- विष्णुदेव नायक							
सर्वेक्षित खेसरा आवासीय है या व्यावसायिक, आंशिक या पूर्ण, पूर्ण व्योरा के साथ उल्लेख करें				कुल रकवा या अवशेष रकवा	अभ्युक्ति						
24				25	26						
आवासीय वो भीट					खेसरा न०- 29 में रकवा 0.0.4.16.0 हैं।						

खासमहाल क्षेत्र का सर्वेक्षण प्रपत्र

महाल का नाम मिल्ट्री बाजार रसुल गंज				तोजी न० 1333							
खसमहाल खतियान के अनुसार जमीन का व्योरा				अभिलेख के अनुसार लीजधारी का व्यौरा							
खाता	खेसरा	रकवा	नाम	पिता का नाम	पता	जमाबंदी सं०	रकवा	चौहदी	लीजवाद संख्या एवं वर्ष	स्वीकृत लीज की अवधि	लगान कब तक भुगतान है
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
006	3	0-11-17-4	चमरू साह	कल्लर साह	रसुलगंज	6	0-17-5-0		176/25-26	1955	
सर्वेक्षण के पश्चात किन व्यक्तियों / संस्था का कब्जा है।						लीज/केवाला/एटोर्नी पावर या अन्य प्रकार से है का उल्लेख करें	अवशेष रकवा	क्या सर्वेक्षित खसरा का कोई भाग अतिक्रमणकारी का नाम एवं पूरा पता	अगर अतिक्रमणकारी है तो अतिक्रमणकारी जमीन का रकवा, नक्सा/चौहदी के साथ	सर्वेक्षित खेसरा पर सरकारी भवन/ संस्था है तो उसका नाम एवं पता, दखल का आधार चौहदी के साथ उल्लेख करें	
नाम	पिता का नाम	पता	रकवा	चौहदी	19	20	21	22	23		
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
अक्षय सिंह व ललित सिंह वो	स्व० वासो सिंह	गौरीपुर	0-7-17-4	उ०- सिमाना गौरीपुर							
कृष्णा सिंह वो पवन सिंह				द०- महेन्द्र साह							
				प०- सडक धनेश्वर पासवान							
				प०- विनय कुमार सिंह सावित्री देवी							
सर्वेक्षित खेसरा आवासीय है या व्यावसायिक , आंशिक या पूर्ण , पूर्ण व्योरा के साथ उल्लेख करें				कुल रकवा या अवशेष रकवा	अभ्युक्ति						
24				25	26						
भीठ					कागज नहीं दिखाया।						

खास महाल पदाधिकारी , मुंगेर

अपर समाहर्ता , मुंगेर

खासमहाल क्षेत्र का सर्वेक्षण प्रपत्र

महाल का नाम मिल्ट्री बाजार रसुल गंज				तोजी न० 1333							
खसमहाल खतियान के अनुसार जमीन का व्योरा				अभिलेख के अनुसार लीजधारी का व्यौरा							
खाता	खेसरा	रकवा	नाम	पिता का नाम	पता	जमाबंदी सं०	रकवा	चौहदी	लीजवाद संख्या एवं वर्ष	स्वीकृत लीज की अवधि	लगान कब तक भुगतान है
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
006	3	0-11-17-4	चमरू साह	कल्लर साह	रसुलगंज	6	0-17-5-0		176/25-26	1955	
सर्वेक्षण के पश्चात किन व्यक्तियों / संस्था का कब्जा है।						लीज/केवाला/एटोर्नी पावर या अन्य प्रकार से है का उल्लेख करें	अवशेष रकवा	क्या सर्वेक्षित खसरा का कोई भाग अतिक्रमणकारी का नाम एवं पूरा पता	अगर अतिक्रमण है तो अतिक्रमणकारी जमीन का रकवा, नक्सा/चौहदी के साथ	सर्वेक्षित खेसरा पर सरकारी भवन/ संस्था है तो उसका नाम एवं पता, दखल का आधार चौहदी के साथ उल्लेख करें	
नाम	पिता का नाम	पता	रकवा	चौहदी	लीज/केवाला/एटोर्नी पावर या अन्य प्रकार से है का उल्लेख करें	अवशेष रकवा	क्या सर्वेक्षित खसरा का कोई भाग अतिक्रमणकारी का नाम एवं पूरा पता	अगर अतिक्रमण है तो अतिक्रमणकारी जमीन का रकवा, नक्सा/चौहदी के साथ	सर्वेक्षित खेसरा पर सरकारी भवन/ संस्था है तो उसका नाम एवं पता, दखल का आधार चौहदी के साथ उल्लेख करें		
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
महेन्द्र साह	स्व० चमरू साह	रसुलगंज गोरीपुर	0-4-0	उ०- अक्षय सिंह वर्गे	केवाला न०-2693/दि-16-10-35						
				द०- सडक							
				पु०- सडक							
				प०- मीना देवी सावित्री देवी							
सर्वेक्षित खेसरा आवासीय है या व्यावसायिक , आंशिक या पूर्ण , पूर्ण व्योरा के साथ उल्लेख करें				कुल रकवा या अवशेष रकवा	अभ्युक्ति						
24				25	26						
भीट				लीजधारी के उत्तराधिकारी द्वारा केवाला किया गया । शर्त का उल्लंघन किया गया है ।							

खास महाल पदाधिकारी , मुंगेर

अपर समाहर्ता , मुंगेर

खासमहाल क्षेत्र का सर्वेक्षण प्रपत्र

महाल का नाम मिल्ट्री बाजार रसुल गंज				तोजी न० 1333							
खसमहाल खतियान के अनुसार जमीन का व्योरा				अभिलेख के अनुसार लीजधारी का व्यौरा							
खाता	खेसरा	रकवा	नाम	पिता का नाम	पता	जमाबंदी सं०	रकवा	चौहदी	लीजवाद संख्या एवं वर्ष	स्वीकृत लीज की अवधि	लगान कब तक भुगतान है
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
006	30	0-3-13-0	चमरू साह	कल्लर साह	रसुल गंज	6	0-1-7-5		176/25-26	1955	
010	45	0-3-2-4	दर्शन साह	झल्लु साह		10	0-3-2-4		180/25-26	1955	
सर्वेक्षण के पश्चात किन व्यक्तियों / संस्था का कब्जा है।						लीज/केवाला/एटोर्नी पावर या अन्य प्रकार से है का उल्लेख करें	अवशेष रकवा	क्या सर्वेक्षित खसरा का कोई भाग अतिक्रमणकारी का नाम एवं पूरा पता	अगर अतिक्रमण है तो अतिक्रमणकारी जमीन का रकवा, नक्सा/चौहदी के साथ	सर्वेक्षित खेसरा पर सरकारी भवन/ संस्था है तो उसका नाम एवं पता, दखल का आधार चौहदी के साथ उल्लेख करें	
नाम	पिता का नाम	पता	रकवा	चौहदी							
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
विष्णुदेव नायक	स्व० रूपलाल नायक	रसुल गंज गोरीपुर	0-2-01-0	उ०- महेन्द्र साह व अर्जुन नायक	लीजधारी के वंशज						
				द०- सुरेश नायक व यमुना नायक							
				पु०- अर्जुन नायक व यमुना नायक							
				प०- प्रकाश नायक व पंचानन्द शर्मा							
सर्वेक्षित खेसरा आवासीय है या व्यावसायिक, आंशिक या पूर्ण, पूर्ण व्योरा के साथ उल्लेख करें				कुल रकवा या अवशेष रकवा	अभ्युक्ति						
24				25	26						
आवासीय मय बाडी					लीज धारी के उत्तराधिकारी						

खास महाल पदाधिकारी, मुंगेर

अपर समाहर्ता, मुंगेर

खासमहाल क्षेत्र का सर्वेक्षण प्रपत्र

महाल का नाम मिल्डी बाजार रसुल गंज				तोजी न० 1333							
खसमहाल खतियान के अनुसार जमीन का व्योरा				अभिलेख के अनुसार लीजधारी का व्यौरा							
खाता	खेसरा	रकवा	नाम	पिता का नाम	पता	जमाबंदी सं०	रकवा	चौहदी	लीजवाद संख्या एवं वर्ष	स्वीकृत लीज की अवधि	लगान कब तक भुगतान है
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007	7	0-2-5-12	मसो० झुनिया	स्व० छोटैलाल साह	रसुल गंज गौरीपुर	7	0-5-0-16		177/25-26	1955	
007	8	0-2-15-4	मसो० झुनियो	छोटैलाल सिंह		12	0-4-1-8		182/25-26	1955	
012	9	0-4-1-8	पोलो सिंह	लक्ष्मण सिंह		9	0-12-16-2		179/25-26	1955	
009	10	0-0-12-7	दर्शन साह	झल्लु साह							
सर्वेक्षण के पश्चात किन व्यक्तियों / संस्था का कब्जा है।						लीज/केवाला/एटोर्नी पावर या अन्य प्रकार से है का उल्लेख करें	अवशेष रकवा	क्या सर्वेक्षित खसरा का कोई भाग अतिक्रमणकारी का नाम एवं पूरा पता	अगर अतिक्रमणकारी है तो अतिक्रमणकारी जमीन का रकवा, नक्सा/चौहदी के साथ	सर्वेक्षित खेसरा पर सरकारी भवन/ संस्था है तो उसका नाम एवं पता, दखल का आधार चौहदी के साथ उल्लेख करें	
नाम	पिता का नाम	पता	रकवा	चौहदी	लीज/केवाला/एटोर्नी पावर या अन्य प्रकार से है का उल्लेख करें	अवशेष रकवा	क्या सर्वेक्षित खसरा का कोई भाग अतिक्रमणकारी का नाम एवं पूरा पता	अगर अतिक्रमणकारी है तो अतिक्रमणकारी जमीन का रकवा, नक्सा/चौहदी के साथ	सर्वेक्षित खेसरा पर सरकारी भवन/ संस्था है तो उसका नाम एवं पता, दखल का आधार चौहदी के साथ उल्लेख करें		
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
शंभु प्रसाद यादव व प्रमोद कुमार रंजन	स्व० सीतो यादव	रसुलगंज गौरीपुर	0-2-5-12 खसरा न० 7	उ०-सडक द०- निज पु- सिमाना गौरीपुर प०- नरेश यादव व० अर्जुन साह	केवाला न०- 4705/30-12-52						
			0-2-15-4 खसरा न० 8		6407/1.10.82						
			2-4-1-8 खसरा न० 9								
			0-0-12-7 खसरा न० 10	उ०-निज द०- अर्जुन नायक पु०- सिमाना गौरीपुर प०- अर्जुन नामक							
सर्वेक्षित खेसरा आवासीय है या व्यावसायिक , आंशिक या पूर्ण , पूर्ण व्योरा के साथ उल्लेख करें				कुल रकवा या अवशेष रकवा	अभ्युक्ति						
24				25	26						
भीट					शर्त का उल्लंघन किया है।						

खासमहाल क्षेत्र का सर्वेक्षण प्रपत्र

महाल का नाम मिल्ट्री बाजार रसुल गंज				तोजी न० 1333									
खसमहाल खतियान के अनुसार जमीन का व्योरा				अभिलेख के अनुसार लीजधारी का व्यौरा									
खाता	खेसरा	रकवा	नाम	पिता का नाम	पता	जमाबंदी सं०	रकवा	चौहदी	लीजवाद संख्या एवं वर्ष	स्वीकृत लीज की अवधि	लगान कब तक भुगतान है		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
009	44	0-3-4-4-12	दर्शन साह	झल्लु साह	रसुल गंज	9	0-12-16-2		179/25-26	1955			
011	46	0-6-4-12-0	दर्शन साह वगै०	झल्लु साह वगै०		11	0-4-1-8		181/25-26	1955			
सर्वेक्षण के पश्चात किन व्यक्तियों / संस्था का कब्जा है।									लीज/केवाला/एटौनी पावर या अन्य प्रकार से है का उल्लेख करें	अवशेष रकवा	क्या सर्वेक्षित खसरा का कोई भाग अतिक्रमणकारी का नाम एवं पूरा पता	अगर अतिक्रमणकारी है तो अतिक्रमणकारी जमीन का रकवा, नक्सा/चौहदी के साथ	सर्वेक्षित खेसरा पर सरकारी भवन/ संस्था है तो उसका नाम एवं पता, दखल का आधार चौहदी के साथ उल्लेख करें
नाम	पिता का नाम	पता	रकवा	चौहदी	19	20	21	22	23				
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
सुरेश नायक वो	स्व० नारायण नायक	रसुल गंज गोरीपुर	0-1-5-04	उ०-विष्णुदेव नामक									
अरविन्द नायक			खेसरा न० 44 वो 46	द०- यमुना नायक									
				पु०- विष्णुदेव नायक वो यमुना नायक									
				प०- प्रकाश नायक									
सर्वेक्षित खेसरा आवासीय है या व्यावसायिक , आंशिक या पूर्ण , पूर्ण व्योरा के साथ उल्लेख करें				कुल रकवा या अवशेष रकवा	अभ्युक्ति								
24				25	26								
आवासीय					लीजधारी के वंशज								

खासमहाल क्षेत्र का सर्वेक्षण प्रपत्र

महाल का नाम मिल्ट्री बाजार रसुल गंज				तोजी न० 1333									
खसमहाल खतियान के अनुसार जमीन का व्योरा				अभिलेख के अनुसार लीजधारी का व्यौरा									
खाता	खेसरा	रकवा	नाम	पिता का नाम	पता	जमाबंदी सं०	रकवा	चौहदी	लीजवाद संख्या एवं वर्ष	स्वीकृत लीज की अवधि	लगान कब तक भुगतान है		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
009	44	0-3-4-4-12	दर्शन साह	झल्लु साह	रसुलगंज	9	0-12-16-2		179/25-26	1955			
010	45	0-3-2-4-0	दर्शन साह	झल्लु साह		10	0-3-2-4		180/25-26	1955			
011	46	0-6-4-12-0	दर्शन साह वगैरह	झल्लु साह वगैरह		11	0-4-1-8		181/25-26	1955			
009	47	0-2-8-0											
सर्वेक्षण के पश्चात किन व्यक्तियों / संस्था का कब्जा है।									लीज/केवाला/एटौनी पावर या अन्य प्रकार से है का उल्लेख करें	अवशेष रकवा	क्या सर्वेक्षित खसरा का कोई भाग अतिक्रमणकारी का नाम एवं पूरा पता	अगर अतिक्रमणकारी है तो अतिक्रमणकारी जमीन का रकवा, नक्सा/चौहदी के साथ	सर्वेक्षित खेसरा पर सरकारी भवन/ संस्था है तो उसका नाम एवं पता, दखल का आधार चौहदी के साथ उल्लेख करें
नाम	पिता का नाम	पता	रकवा	चौहदी									
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
यमुना नायक	स्व० छोटेलाल नायक	रसुल गंज गोरीपुर	0-9-6-4	उ०- अर्जुन नायक	लीज धारी के वंशज								
			खेसरा न०-44,45,46,47	द०- रास्ता									
				पु०- पंकज नायक व० विजय नायक									
				प०- विष्णुदेव नायक व० सुरेश नायक									
सर्वेक्षित खेसरा आवासीय है या व्यावसायिक, आंशिक या पूर्ण, पूर्ण व्योरा के साथ उल्लेख करें				कुल रकवा या अवशेष रकवा	अभ्युक्ति								
24				25	26								
आवासीय एवं बाडी					लीजधारी के वंशज								

खासमहाल क्षेत्र का सर्वेक्षण प्रपत्र

महाल का नाम मिल्डी बाजार रसुल गंज				तोजी न० 1333											
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> खासमहाल खतियान के अनुसार जमीन का व्योरा </div>				<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> अभिलेख के अनुसार लीजधारी का व्यौरा </div>											
खाता	खेसरा	रकवा	नाम	पिता का नाम	पता	जमाबंदी सं०	रकवा	चौहदी	लीजवाद संख्या एवं वर्ष	स्वीकृत लीज की अवधि	लगान कब तक भुगतान है				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
011	12	0-0-12	दर्शन साह वो अमृत साह वगैरह	झल्लु साह वगैरह	रसुलगंज	11	0-4-1-8		181/25-26	1955					
008	13	0-0-7-4	मसो० अकली	तालो गोप		8	0-0-7-4		178/25-26	1955					
011	14	0-0-3-12	लुटन साह वो दर्शन साह वगैरह	झल्लु साह		17	0-16-3-8		187/25-26	1955					
011	15	0-0-7-4	लुटन साह वो दर्शन साह वगैरह	झल्लु साह											
017	17	0-4-1-8	मौजी साह वो सौखी साह	स्व० बदरी साह											
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> सर्वेक्षण के पश्चात किन व्यक्तियों / संस्था का कब्जा है। </div>						<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> लीज/केवाला/एटोर्नी पावर या अन्य प्रकार से है का उल्लेख करें </div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> अवशेष रकवा </div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> क्या सर्वेक्षित खसरा का कोई भाग अतिक्रमित है तो अतिक्रमणकारी का नाम एवं पूरा पता </div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> अगर अतिक्रमित है तो अतिक्रमित जमीन का रकवा, नक्सा/चौहदी के साथ </div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> सर्वेक्षित खेसरा पर सरकारी भवन/ संस्था है तो उसका नाम एवं पता, दखल का आधार चौहदी के साथ उल्लेख करें </div>	
नाम	पिता का नाम	पता	रकवा	चौहदी											
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
शंभु प्रसाद यादव व प्रमोद कुमार रंजन वगैरह	स्व० सीतो यादव	रसुल गंज गोरीपुर	0-0-12-0	उ०- शंभु शदव	केवाला एवं लीज,										
नरेश यादव व मनोज कुमार यादव व राजीव रंजन	स्व० ब्रज किशोर यादव		0-0-7-4/0-0-3-12	द०- अर्जुन नायक											
रंजीत कुमार यादव वगैरह	स्व० रोहन यादव		0-0-7-0/0-0-14-0	पु०- अर्जुन नायक											
सोहन यादव	स्व० बलदेव यादव		0-02-03-16	प०- नरेश यादव											
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> सर्वेक्षित खेसरा आवासीय है या व्यावसायिक , आंशिक या पूर्ण , पूर्ण व्योरा के साथ उल्लेख करें </div>				<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> कुल रकवा या अवशेष रकवा </div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> अभ्युक्ति </div>									
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> 24 </div>				<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> 25 </div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> 26 </div>									
आवासीय						सर्वेक्षण के समय केवाला वो कागज नहीं दिखाया । शर्त का उल्लंघन किया गया है।									

खासमहाल क्षेत्र का सर्वेक्षण प्रपत्र

महाल का नाम मिल्ट्री बाजार रसुल गंज				तोजी न० 1333							
खसमहाल खतियान के अनुसार जमीन का व्योरा				अभिलेख के अनुसार लीजधारी का व्यौरा							
खाता	खेसरा	रकवा	नाम	पिता का नाम	पता	जमाबंदी सं०	रकवा	चौहदी	लीजवाद संख्या एवं वर्ष	स्वीकृत लीज की अवधि	लगान कब तक भुगतान है
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
011	16	0-0-10-0	दर्शन साह वो अमृत साह	झल्लु साह	रसुल गंज						
			लुटन साह	लालजी साह							
सर्वेक्षण के पश्चात किन व्यक्तियों / संस्था का कब्जा है।						लीज/केवाला/एटोर्नी पावर या अन्य प्रकार से है का उल्लेख करें	अवशेष रकवा	क्या सर्वेक्षित खसरा का कोई भाग अतिक्रमित है तो अतिक्रमणकारी का नाम एवं पूरा पता	अगर अतिक्रमित है तो अतिक्रमित जमीन का रकवा, नक्सा/चौहदी के साथ	सर्वेक्षित खेसरा पर सरकारी भवन/ संस्था है तो उसका नाम एवं पता, दखल का आधार चौहदी के साथ उल्लेख करें	
नाम	पिता का नाम	पता	रकवा	चौहदी							
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
रास्ता			0-0-10 दस धुर								
सर्वेक्षित खेसरा आवासीय है या व्यावसायिक , आंशिक या पूर्ण , पूर्ण व्योरा के साथ उल्लेख करें				कुल रकवा या अवशेष रकवा	अभ्युक्ति						
24				25		26					
						जमाबंदी नहीं चल रहा है तथा वर्तमान में रास्ता का व्यवहार हो रहा है ।					

खास महाल पदाधिकारी , मुंगेर

अपर समाहर्ता , मुंगेर

खासमहाल क्षेत्र का सर्वेक्षण प्रपत्र

महाल का नाम मिल्ट्री बाजार रसुल गंज				तोजी न० 1333							
खसमहाल खतियान के अनुसार जमीन का व्योरा				अभिलेख के अनुसार लीजधारी का व्यौरा							
खाता	खेसरा	रकवा	नाम	पिता का नाम	पता	जमाबंदी सं०	रकवा	चौहदी	लीजवाद संख्या एवं वर्ष	स्वीकृत लीज की अवधि	लगान कब तक भुगतान है
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
011	39	0-3-13-0	दर्शन साह व अमृत साह	झल्लु साह	रसुल गंज	11	0-4-1-8		181/25-26		1955
			वो लुटन साह	लालजी साह							
सर्वेक्षण के पश्चात किन व्यक्तियों / संस्था का कब्जा है।						लीज/केवाला/एटोर्नी पावर या अन्य प्रकार से है का उल्लेख करें	अवशेष रकवा	क्या सर्वेक्षित खसरा का कोई भाग अतिक्रमणकारी का नाम एवं पूरा पता	अगर अतिक्रमणकारी है तो अतिक्रमणकारी जमीन का रकवा, नक्सा/चौहदी के साथ	सर्वेक्षित खेसरा पर सरकारी भवन/ संस्था है तो उसका नाम एवं पता, दखल का आधार चौहदी के साथ उल्लेख करें	
नाम	पिता का नाम	पता	रकवा	चौहदी							
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
प्रकाश नायक व जगमोहन नायक	स्व० उमन नायक	रसुल गंज गौरीपुर	0-1-05	उ०- पंचानन्द शर्मा	उत्तराधिकारी						
				द०- मोना देवी व राजो देवी	लीज धारी के पौत्र						
				पु०- दिलमोहन नायक							
				प०- वासुदेव शर्मा							
सर्वेक्षित खेसरा आवासीय है या व्यावसायिक , आंशिक या पूर्ण , पूर्ण व्योरा के साथ उल्लेख करें				कुल रकवा या अवशेष रकवा	अभ्युक्ति						
24				25	26						
आवीसय						लीजधारी के उत्तराधिकारी					

खासमहाल क्षेत्र का सर्वेक्षण प्रपत्र

महाल का नाम मिल्ट्री बाजार रसुल गंज				तोजी न० 1333										
खसमहाल खतियान के अनुसार जमीन का व्योरा				अभिलेख के अनुसार लीजधारी का व्यौरा										
खाता	खेसरा	रकवा	नाम	पिता का नाम	पता	जमाबंदी सं०	रकवा	चौहदी	लीजवाद संख्या एवं वर्ष	स्वीकृत लीज की अवधि	लगान कब तक भुगतान है			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
011	40	0-3-15-8	दर्शन साह अमृत साह	झल्लु साह व	रसुल गंज	11	0-4-1-8		181/25-26	1955				
			लुटन साह	लालजी साह										
सर्वेक्षण के पश्चात किन व्यक्तियों / संस्था का कब्जा है।								लीज/केवाला/एटोर्नी पावर या अन्य प्रकार से है का उल्लेख करें	अवशेष रकवा	क्या सर्वेक्षित खसरा का कोई भाग अतिक्रमित है तो अतिक्रमणकारी का नाम एवं पूरा पता	अगर अतिक्रमित है तो अतिक्रमित जमीन का रकवा, नक्सा/चौहदी के साथ	सर्वेक्षित खेसरा पर सरकारी भवन/ संस्था है तो उसका नाम एवं पता, दखल का आधार चौहदी के साथ उल्लेख करें		
नाम	पिता का नाम	पता	रकवा	चौहदी	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
मसो० राजो देवी	स्व० सरयुग नायक	रसुल गंज गोरीपुर	0-1-17-14	उ०- प्रकाश नायक						केवाला				
				द०- सडक										
				पु०- दिल मोहन नायक वगे०										
				प०- मानो देवी										
सर्वेक्षित खेसरा आवासीय है या व्यावसायिक , आंशिक या पूर्ण , पूर्ण व्योरा के साथ उल्लेख करें				कुल रकवा या अवशेष रकवा				अभ्युक्ति						
24				25				26						
बाडी								सर्वेक्षण के समय केवाला नहीं दिखलाया गया है ।						

खासमहाल क्षेत्र का सर्वेक्षण प्रपत्र

महाल का नाम मिल्ट्री बाजार रसुल गंज				तोजी न० 1333							
खसमहाल खतियान के अनुसार जमीन का व्योरा				अभिलेख के अनुसार लीजधारी का व्यौरा							
खाता	खेसरा	रकवा	नाम	पिता का नाम	पता	जमाबंदी सं०	रकवा	चौहदी	लीजवाद संख्या एवं वर्ष	स्वीकृत लीज की अवधि	लगान कब तक भुगतान है
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
011	40	0-3-15-8	दर्शन साह व अमृत साह	झल्लु साह	रसुलगंज	11	0-4-1-8		181/25-26	1955	
			लुटन साह	लालजी साह							
सर्वेक्षण के पश्चात किन व्यक्तियों / संस्था का कब्जा है।							लीज/केवाला/एटोर्नी पावर या अन्य प्रकार से है का उल्लेख करें	अवशेष रकवा	क्या सर्वेक्षित खसरा का कोई भाग अतिक्रमित है तो अतिक्रमणकारी का नाम एवं पूरा पता	अगर अतिक्रमित है तो अतिक्रमित जमीन का रकवा, नक्सा/चौहदी के साथ	सर्वेक्षित खेसरा पर सरकारी भवन/ संस्था है तो उसका नाम एवं पता, दखल का आधार चौहदी के साथ उल्लेख करें
नाम	पिता का नाम	पता	रकवा	चौहदी							
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
मसो० मानो देवी	स्व० विरजु नायक	रसुलगंज गौरीपुर	0-1-17-14	उ०- प्रकाश नायक	केवाला						
				द०- सडक							
				पु०- राजो देवी							
				प०- वासुदेव शर्मा							
सर्वेक्षित खेसरा आवासीय है या व्यावसायिक , आंशिक या पूर्ण , पूर्ण व्योरा के साथ उल्लेख करें				कुल रकवा या अवशेष रकवा	अभ्युक्ति						
24				25		26					
बाडी						सर्वेक्षण के समय केवाला नहीं दिखलाया गया है ।					

खासमहाल क्षेत्र का सर्वेक्षण प्रपत्र

महाल का नाम मिल्ट्री बाजार रसूल गंज				तोजी न० 1333							
खसमहाल खतियान के अनुसार जमीन का व्योरा				अभिलेख के अनुसार लीजधारी का व्यौरा							
खाता	खेसरा	रकवा	नाम	पिता का नाम	पता	जमाबंदी सं०	रकवा	चौहदी	लीजवाद संख्या एवं वर्ष	स्वीकृत लीज की अवधि	लगान कब तक भुगतान है
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
013	2	0-3-4-12	पालो सिंह	स्व० लक्ष्मण सिंह	गौरीपुर	13	0-3-4-12		182/25-26	1955	
सर्वेक्षण के पश्चात किन व्यक्तियों / संस्था का कब्जा है।						लीज/केवाला/एटोर्नी पावर या अन्य प्रकार से है का उल्लेख करें	अवशेष रकवा	क्या सर्वेक्षित खसरा का कोई भाग अतिक्रमणकारी का नाम एवं पूरा पता	अगर अतिक्रमणकारी है तो अतिक्रमणकारी जमीन का रकवा, नक्सा/चौहदी के साथ	सर्वेक्षित खेसरा पर सरकारी भवन/ संस्था है तो उसका नाम एवं पता, दखल का आधार चौहदी के साथ उल्लेख करें	
नाम	पिता का नाम	पता	रकवा	चौहदी	19	20	21	22	23		
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
डेविड सिंह	स्व० उपेन्द्र नारायण सिंह	गौरीपुर	0-1-12-6	उ०- सिमाना गौरीपुर	उत्तराधिकारी						
				द०- महेन्द्र साह							
				पु०- अक्षय सिंह							
				प०- विनय कुमार सिंह							
सर्वेक्षित खेसरा आवासीय है या व्यावसायिक , आंशिक या पूर्ण , पूर्ण व्योरा के साथ उल्लेख करें				कुल रकवा या अवशेष रकवा	अभ्युक्ति						
24				25	26						
भीठ				लीजधारी के पौत्र दखलकार है।							

खास महाल पदाधिकारी , मुंगेर

अपर समाहर्ता , मुंगेर

खासमहाल क्षेत्र का सर्वेक्षण प्रपत्र

महाल का नाम मिल्ट्री बाजार रसुल गंज				तोजी न० 1333							
खसमहाल खतियान के अनुसार जमीन का व्योरा				अभिलेख के अनुसार लीजधारी का व्यौरा							
खाता	खेसरा	रकवा	नाम	पिता का नाम	पता	जमाबंदी सं०	रकवा	चौहदी	लीजवाद संख्या एवं वर्ष	स्वीकृत लीज की अवधि	लगान कब तक भुगतान है
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
013	2	0-3-4-12	पालो सिंह	लक्ष्मण सिंह	गौरीपुर	13	0-3-4-12		182/25-26	1955	
सर्वेक्षण के पश्चात किन व्यक्तियों / संस्था का कब्जा है।						लीज/केवाला/एटोर्नी पावर या अन्य प्रकार से है का उल्लेख करें	अवशेष रकवा	क्या सर्वेक्षित खसरा का कोई भाग अतिक्रमणकारी का नाम एवं पूरा पता	अगर अतिक्रमणकारी है तो अतिक्रमणकारी जमीन का रकवा, नक्सा/चौहदी के साथ	सर्वेक्षित खेसरा पर सरकारी भवन/ संस्था है तो उसका नाम एवं पता, दखल का आधार चौहदी के साथ उल्लेख करें	
नाम	पिता का नाम	पता	रकवा	चौहदी							
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
विनय कुमार सिंह	स्व० उपेन्द्र नारायण सिंह	गौरीपुर	0-1-12-6	उ०- सिमाना गौरीपुर	उत्तराधिकारी						
				द०- सावित्री देवी							
				पु०- उमाकांत सिंह							
				प०- डैविड सिंह							
सर्वेक्षित खेसरा आवासीय है या व्यावसायिक , आंशिक या पूर्ण , पूर्ण व्योरा के साथ उल्लेख करें				कुल रकवा या अवशेष रकवा	अभ्युक्ति						
24				25	26						
भीठ				लीजधारी के पौत्र दखलकार है।							

खास महाल पदाधिकारी , मुंगेर

अपर समाहर्ता , मुंगेर

खासमहाल क्षेत्र का सर्वेक्षण प्रपत्र

महाल का नाम मिल्ट्री बाजार रसुल गंज				तोजी न० 1333							
खसमहाल खतियान के अनुसार जमीन का व्योरा				अभिलेख के अनुसार लीजधारी का व्यौरा							
खाता	खेसरा	रकवा	नाम	पिता का नाम	पता	जमाबंदी सं०	रकवा	चौहदी	लीजवाद संख्या एवं वर्ष	स्वीकृत लीज की अवधि	लगान कब तक भुगतान है
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
014	1	0-11-12-8	पैरू सिंह	गिरिधारी सिंह	गौरीपुर	14	0-11-12-8		184/25-26	1955	
सर्वेक्षण के पश्चात किन व्यक्तियों / संस्था का कब्जा है।						लीज/केवाला/एटोर्नी पावर या अन्य प्रकार से है का उल्लेख करें	अवशेष रकवा	क्या सर्वेक्षित खसरा का कोई भाग अतिक्रमणकारी का नाम एवं पूरा पता	अगर अतिक्रमणकारी है तो अतिक्रमणकारी जमीन का रकवा, नक्सा/चौहदी के साथ	सर्वेक्षित खेसरा पर सरकारी भवन/ संस्था है तो उसका नाम एवं पता, दखल का आधार चौहदी के साथ उल्लेख करें	
नाम	पिता का नाम	पता	रकवा	चौहदी	लीज/केवाला/एटोर्नी पावर या अन्य प्रकार से है का उल्लेख करें	अवशेष रकवा	क्या सर्वेक्षित खसरा का कोई भाग अतिक्रमणकारी का नाम एवं पूरा पता	अगर अतिक्रमणकारी है तो अतिक्रमणकारी जमीन का रकवा, नक्सा/चौहदी के साथ	सर्वेक्षित खेसरा पर सरकारी भवन/ संस्था है तो उसका नाम एवं पता, दखल का आधार चौहदी के साथ उल्लेख करें		
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
मीना देवी	उमाकान्त शर्मा	रसुलगंज गौरीपुर	0-3-17-9-6	उ०- सावित्री देवी	केवाला नं० -7214						
				द०- सडक	दिनांक 29-11-88						
				पु०- महेन्द्र साह	1655/19.5.95						
				प०- गौरीपुर सिमाना							
सर्वेक्षित खेसरा आवासीय है या व्यावसायिक , आंशिक या पूर्ण , पूर्ण व्योरा के साथ उल्लेख करें				कुल रकवा या अवशेष रकवा	अभ्युक्ति						
24				25	26						
भीठ				0-11-12-8	शर्त का उल्लंघन किया गया है।						

खास महाल पदाधिकारी , मुंगेर

अपर समाहर्ता , मुंगेर

खासमहाल क्षेत्र का सर्वेक्षण प्रपत्र

महाल का नाम मिल्ट्री बाजार रसुल गंज				तोजी न० 1333							
खसमहाल खतियान के अनुसार जमीन का व्योरा				अभिलेख के अनुसार लीजधारी का व्योरा							
खाता	खेसरा	रकवा	नाम	पिता का नाम	पता	जमाबंदी सं०	रकवा	चौहदी	लीजवाद संख्या एवं वर्ष	स्वीकृत लीज की अवधि	लगान कब तक भुगतान है
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
014	1	0-11-12-8	पैरू सिंह	गिरधारी सिंह	गौरीपुर	14	0-11-12-8		184/25-26	1955	
सर्वेक्षण के पश्चात किन व्यक्तियों / संस्था का कब्जा है।						लीज/केवाला/एटोर्नी पावर या अन्य प्रकार से है का उल्लेख करें	अवशेष रकवा	क्या सर्वेक्षित खसरा का कोई भाग अतिक्रमणकारी का नाम एवं पूरा पता	अगर अतिक्रमणकारी है तो अतिक्रमणकारी जमीन का रकवा, नक्सा/चौहदी के साथ	सर्वेक्षित खेसरा पर सरकारी भवन/ संस्था है तो उसका नाम एवं पता, दखल का आधार चौहदी के साथ उल्लेख करें	
नाम	पिता का नाम	पता	रकवा	चौहदी	लीज/केवाला/एटोर्नी पावर या अन्य प्रकार से है का उल्लेख करें	अवशेष रकवा	क्या सर्वेक्षित खसरा का कोई भाग अतिक्रमणकारी का नाम एवं पूरा पता	अगर अतिक्रमणकारी है तो अतिक्रमणकारी जमीन का रकवा, नक्सा/चौहदी के साथ	सर्वेक्षित खेसरा पर सरकारी भवन/ संस्था है तो उसका नाम एवं पता, दखल का आधार चौहदी के साथ उल्लेख करें		
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
उमाकांत सिंह	स्व० तिलक धारी सिंह	रसुल गंज गौरीपुर	0-11-12-8	उ०- सिमाना गौरीपुर	केवाला न०- 805 दि० 21 .2.1969						
				द०- सावित्री देवी	2226/9.5.1969						
				पु०- विजय कुमार सिंह	121/7.1.70						
				प०- सिमाना गौरीपुर	316 /20,7,99						
सर्वेक्षित खेसरा आवासीय है या व्यावसायिक , आंशिक या पूर्ण , पूर्ण व्योरा के साथ उल्लेख करें				कुल रकवा या अवशेष रकवा	अभ्युक्ति						
24				25	26						
आवासीय बाडी				0-11-12-8	शर्त का उल्लंघन किया गया है ।						

खासमहाल क्षेत्र का सर्वेक्षण प्रपत्र

महाल का नाम मिल्ट्री बाजार रसूल गंज				तोजी न० 1333										
खसमहाल खतियान के अनुसार जमीन का व्योरा				अभिलेख के अनुसार लीजधारी का व्यौरा										
खाता	खेसरा	रकवा	नाम	पिता का नाम	पता	जमाबंदी सं०	रकवा	चौहदी	लीजवाद संख्या एवं वर्ष	स्वीकृत लीज की अवधि	लगान कब तक भुगतान है			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
014	1	0-11-12-8	पैरू सिंह	गिरधारी सिंह	गौरीपुर	14	0-11-12-8		184/25-26	1955				
सर्वेक्षण के पश्चात किन व्यक्तियों / संस्था का कब्जा है।						लीज/केवाला/एटोर्नी पावर या अन्य प्रकार से है का उल्लेख करें	अवशेष रकवा	क्या सर्वेक्षित खसरा का कोई भाग अतिक्रमणकारी का नाम एवं पूरा पता	अगर अतिक्रमणकारी है तो अतिक्रमणकारी जमीन का रकवा, नक्सा/चौहदी के साथ	सर्वेक्षित खेसरा पर सरकारी भवन/ संस्था है तो उसका नाम एवं पता, दखल का आधार चौहदी के साथ उल्लेख करें				
नाम	पिता का नाम	पता	रकवा	चौहदी	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
सावित्री देवी	कमली साह	जमालपुर केशोपुर	0-3-17-9-8	उ०- उमाकांत सिंह										
				द०- मीना देवी										
				पु०- विजय सिंह वगैरह										
				प०- सिमाना गौरीपुर										
सर्वेक्षित खेसरा आवासीय है या व्यावसायिक, आंशिक या पूर्ण, पूर्ण व्योरा के साथ उल्लेख करें				कुल रकवा या अवशेष रकवा				अभ्युक्ति						
24				25				26						
भीठ								केवाला नहीं दिखलाया। शर्त का उल्लंघन किया गया।						

खास महाल पदाधिकारी, मुंगेर

अपर समाहर्ता, मुंगेर

खासमहाल क्षेत्र का सर्वेक्षण प्रपत्र

महाल का नाम मिल्ट्री बाजार रसुल गंज				तोजी न० 1333									
खसमहाल खतियान के अनुसार जमीन का व्योरा				अभिलेख के अनुसार लीजधारी का व्यौरा									
खाता	खेसरा	रकवा	नाम	पिता का नाम	पता	जमाबंदी सं०	रकवा	चौहदी	लीजवाद संख्या एवं वर्ष	स्वीकृत लीज की अवधि	लगान कब तक भुगतान है		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
015	4	0-4-3-16	रीतो पासवान	भगीरथ पासवान	रसुलगंज गौरीपुर	25	0-4-3-16		185/25-26	1955			
	5	0-2-8-0	वो जीवलाल साह	वो भत्तु साह		15	0-15-11-12						
सर्वेक्षण के पश्चात किन व्यक्तियों / संस्था का कब्जा है।									लीज/केवाला/एटौनी पावर या अन्य प्रकार से है का उल्लेख करें	अवशेष रकवा	क्या सर्वेक्षित खसरा का कोई भाग अतिक्रमणकारी का नाम एवं पूरा पता	अगर अतिक्रमण है तो अतिक्रमण जमीन का रकवा, नक्सा/चौहदी के साथ	सर्वेक्षित खेसरा पर सरकारी भवन/ संस्था है तो उसका नाम एवं पता, दखल का आधार चौहदी के साथ उल्लेख करें
नाम	पिता का नाम	पता	रकवा	चौहदी	19	20	21	22	23				
14	15	16	17	18									
लक्ष्मी पासवान	स्व० गुलो पासवान	रसुलगंज गौरीपुर	0-0-17-18 खेसरा न० 4	उ०- सिवाना गौरीपुर, द०- रोड									
			0-2-8-0 खेसरा न० 5	पु०- प्रमोद यादव									
			0-3-5-18										
				प०- प्रमेश्वर पासवान									
सर्वेक्षित खेसरा आवासीय है या व्यावसायिक , आंशिक या पूर्ण , पूर्ण व्योरा के साथ उल्लेख करें				कुल रकवा या अवशेष रकवा	अभ्युक्ति								
24				25	26								
0.0.17.18 आवासीय					कागज नहीं दिखाया ,लीजधारी का पता नहीं चला।								
2.8.0.0 भीट													

खासमहाल क्षेत्र का सर्वेक्षण प्रपत्र

महाल का नाम मिल्ट्री बाजार रसुल गंज				तोजी न० 1333								
खसमहाल खतियान के अनुसार जमीन का व्योरा				अभिलेख के अनुसार लीजधारी का व्यौरा								
खाता 2	खेसरा 3	रकवा 4	नाम 5	पिता का नाम 6	पता 7	जमाबंदी सं० 8	रकवा 9	चौहदी 10	लीजवाद संख्या एवं वर्ष 11	स्वीकृत लीज की अवधि 12	लगान कब तक भुगतान है 13	
015	4	0-4-3-16				25 बनाम	0-4-3-16					
						बंगाली पासवान						
						पे० गोपाल पासवान						
सर्वेक्षण के पश्चात किन व्यक्तियों / संस्था का कब्जा है।						लीज/केवाला/एटौनी पावर या अन्य प्रकार से है का उल्लेख करें	अवशेष रकवा	क्या सर्वेक्षित खसरा का कोई भाग अतिक्रमणकारी का नाम एवं पूरा पता	अगर अतिक्रमण है तो अतिक्रमणकारी जमीन का रकवा, नक्सा/चौहदी के साथ	सर्वेक्षित खसरा पर सरकारी भवन/ संस्था है तो उसका नाम एवं पता, दखल का आधार चौहदी के साथ उल्लेख करें		
नाम 14	पिता का नाम 15	पता 16	रकवा 17	चौहदी 18	19	20	21	22	23			
परमेश्वर पासवान	स्व० धनेश्वर पासवान	रसुलगंज गौरीपुर	4-2-15-18	उ०- सुनैना देवी द०- रोड	लीजधारी का वंशज							
						पु०- लक्ष्मी पासवान						
						प०- वासो पासवान						
सर्वेक्षित खेसरा आवासीय है या व्यावसायिक , आंशिक या पूर्ण , पूर्ण व्योरा के साथ उल्लेख करें				कुल रकवा या अवशेष रकवा	अभ्युक्ति							
24				25	26							
आवासीय				कागज नहीं दिखाया, लीजधारी का पता नहीं चला।								

खासमहाल क्षेत्र का सर्वेक्षण प्रपत्र

महाल का नाम मिल्ट्री बाजार रसुल गंज				तोजी न० 1333										
खसमहाल खतियान के अनुसार जमीन का व्योरा				अभिलेख के अनुसार लीजधारी का व्यौरा										
खाता	खेसरा	रकवा	नाम	पिता का नाम	पता	जमाबंदी सं०	रकवा	चौहदी	लीजवाद संख्या एवं वर्ष	स्वीकृत लीज की अवधि	लगान कब तक भुगतान है			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
015	6	0-13-3-12	रीतो पासवान	भगीरथ पासवान	रसुलगंज	15	0-15-11-12		185/25-26	1955				
	5	0-2-8-0	वो जीवलाल साह	वो भत्तु साह										
		0-15-11-12												
सर्वेक्षण के पश्चात किन व्यक्तियों / संस्था का कब्जा है।						लीज/केवाला/एटोर्नी पावर या अन्य प्रकार से है का उल्लेख करें	अवशेष रकवा	क्या सर्वेक्षित खसरा का कोई भाग अतिक्रमणकारी का नाम एवं पूरा पता	अगर अतिक्रमणकारी है तो अतिक्रमणकारी जमीन का रकवा, नक्सा/चौहदी के साथ	सर्वेक्षित खेसरा पर सरकारी भवन/ संस्था है तो उसका नाम एवं पता, दखल का आधार चौहदी के साथ उल्लेख करें				
नाम	पिता का नाम	पता	रकवा	चौहदी	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
रीना रंजन	प्रमोद रंजन	रसुलगंज गोरीपुर	0-13-3-12	उ०- सिमाना गोरीपुर										
विन्दु देवी	सुबोध कुमार		खसरा न०-6	द०- सडक										
				पु०- सिमाना गोरीपुर										
				प०- लक्ष्मी पासवान										
सर्वेक्षित खेसरा आवासीय है या व्यावसायिक , आंशिक या पूर्ण , पूर्ण व्योरा के साथ उल्लेख करें				कुल रकवा या अवशेष रकवा				अभ्युक्ति						
24				25				26						
भीठ								सर्वेक्षण के समय केवाला नहीं दिखाया।						

खासमहाल क्षेत्र का सर्वेक्षण प्रपत्र

महाल का नाम मिल्डी बाजार रसुल गंज				तोजी न० 1333							
खसमहाल खतियान के अनुसार जमीन का व्योरा				अभिलेख के अनुसार लीजधारी का व्यौरा							
खाता	खेसरा	रकवा	नाम	पिता का नाम	पता	जमाबंदी सं०	रकवा	चौहदी	लीजवाद संख्या एवं वर्ष	स्वीकृत लीज की अवधि	लगान कब तक भुगतान है
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
016	49	0-2-15-4	बिहारी साह सुडी	गरमु साह	रसुलगंज	16	0-2-15-14 आवासीय		186/25.15.4	1955	
सर्वेक्षण के पश्चात किन व्यक्तियों / संस्था का कब्जा है।						लीज/केवाला/एटोर्नी पावर या अन्य प्रकार से है का उल्लेख करें	अवशेष रकवा	क्या सर्वेक्षित खसरा का कोई भाग अतिक्रमणकारी का नाम एवं पूरा पता	अगर अतिक्रमण है तो अतिक्रमण जमीन का रकवा, नक्सा/चौहदी के साथ	सर्वेक्षित खेसरा पर सरकारी भवन/ संस्था है तो उसका नाम एवं पता, दखल का आधार चौहदी के साथ उल्लेख करें	
नाम	पिता का नाम	पता	रकवा	चौहदी	लीज/केवाला/एटोर्नी पावर या अन्य प्रकार से है का उल्लेख करें	अवशेष रकवा	क्या सर्वेक्षित खसरा का कोई भाग अतिक्रमणकारी का नाम एवं पूरा पता	अगर अतिक्रमण है तो अतिक्रमण जमीन का रकवा, नक्सा/चौहदी के साथ	सर्वेक्षित खेसरा पर सरकारी भवन/ संस्था है तो उसका नाम एवं पता, दखल का आधार चौहदी के साथ उल्लेख करें		
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
राजेन्द्र नायक वो	स्व० शिवनन्दन नायक	रसुलगंज गोरीपुर	0-2-15-04	उ०- गली	लीजधारी के उत्तराधिकारी						
रतन नायक				द०- विजय नायक वगैरह							
				पु०- गली							
				प०- सोहन नायक							
सर्वेक्षित खेसरा आवासीय है या व्यावसायिक , आंशिक या पूर्ण , पूर्ण व्योरा के साथ उल्लेख करें				कुल रकवा या अवशेष रकवा		अभ्युक्ति					
24				25		26					
आवासीय						लीजधारी के वंशज					

खासमहाल क्षेत्र का सर्वेक्षण प्रपत्र

महाल का नाम मिल्ट्री बाजार रसुल गंज				तोजी न० 1333							
खसमहाल खतियान के अनुसार जमीन का व्योरा				अभिलेख के अनुसार लीजधारी का व्यौरा							
खाता	खेसरा	रकवा	नाम	पिता का नाम	पता	जमाबंदी सं०	रकवा	चौहदी	लीजवाद संख्या एवं वर्ष	स्वीकृत लीज की अवधि	लगान कब तक भुगतान है
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
017	17	0-4-1-8	मौजी साह वो सोखी साह	बदरी साह	रसुल गंज	17	0-16-3-8		187/25-26	1955	
सर्वेक्षण के पश्चात किन व्यक्तियों / संस्था का कब्जा है।						लीज/केवाला/एटोर्नी पावर या अन्य प्रकार से है का उल्लेख करें	अवशेष रकवा	क्या सर्वेक्षित खसरा का कोई भाग अतिक्रमणकारी का नाम एवं पूरा पता	अगर अतिक्रमणकारी है तो अतिक्रमणकारी जमीन का रकवा, नक्सा/चौहदी के साथ	सर्वेक्षित खेसरा पर सरकारी भवन/ संस्था है तो उसका नाम एवं पता, दखल का आधार चौहदी के साथ उल्लेख करें	
नाम	पिता का नाम	पता	रकवा	चौहदी							
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
ब्रज किशोर यादव	स्व० महादेव यादव	रसुलगंज गोरीपुर	0-1-19-0	उ०- अर्जुन साह	केवाला न०- 6879						
				द०- खे० 16 रास्ता	दि० 17.10.89						
				पु०- रंजीत यादव वगैरह	1851/12.4.90						
				प०- यमुना नायक							
सर्वेक्षित खेसरा आवासीय है या व्यावसायिक , आंशिक या पूर्ण , पूर्ण व्योरा के साथ उल्लेख करें				कुल रकवा या अवशेष रकवा	अभ्युक्ति						
24				25	26						
आवासीय				शर्त का उल्लंघन किया है ।							

खासमहाल क्षेत्र का सर्वेक्षण प्रपत्र

महाल का नाम मिल्ट्री बाजार रसुल गंज				तोजी न० 1333								
खसमहाल खतियान के अनुसार जमीन का व्योरा				अभिलेख के अनुसार लीजधारी का व्यौरा								
खाता	खेसरा	रकवा	नाम	पिता का नाम	पता	जमाबंदी सं०	रकवा	चौहदी	लीजवाद संख्या एवं वर्ष	स्वीकृत लीज की अवधि	लगान कब तक भुगतान है	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
017	17	0-4-1-8	मौजी साह व सौखी साह	बदरी साह	रसुल गंज	17	0-16-3-8		187/25-26	1955		
	19	0-4-17-0										
सर्वेक्षण के पश्चात किन व्यक्तियों / संस्था का कब्जा है।								लीज/केवाला/एटोर्नी पावर या अन्य प्रकार से है का उल्लेख करें	अवशेष रकवा	क्या सर्वेक्षित खसरा का कोई भाग अतिक्रमणकारी का नाम एवं पूरा पता	अगर अतिक्रमणकारी है तो अतिक्रमणकारी जमीन का रकवा, नक्सा/चौहदी के साथ	सर्वेक्षित खेसरा पर सरकारी भवन/ संस्था है तो उसका नाम एवं पता, दखल का आधार चौहदी के साथ उल्लेख करें
नाम	पिता का नाम	पता	रकवा	चौहदी								
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
यमुना नायक	स्व० मौजी नायक	रसुल गंज गौरीपुर	0-1-8-8 खेसरा न०-17	उ०- नीज द० रास्ता								
			खेसरा न० 19	उ०- सडक,द०- नीज ,पु०- अर्जुन साह,प०- गली								
			0-3-17-0									
			0-5-5-8									
सर्वेक्षित खेसरा आवासीय है या व्यावसायिक , आंशिक या पूर्ण , पूर्ण व्योरा के साथ उल्लेख करें				कुल रकवा या अवशेष रकवा	अभ्युक्ति							
24				25	26							
आवासीय एवं बाडी					उत्तराधिकारी के पुत्र							

खासमहाल क्षेत्र का सर्वेक्षण प्रपत्र

महाल का नाम मिल्ट्री बाजार रसुल गंज				तोजी न० 1333							
खसमहाल खतियान के अनुसार जमीन का व्योरा				अभिलेख के अनुसार लीजधारी का व्यौरा							
खाता	खेसरा	रकवा	नाम	पिता का नाम	पता	जमाबंदी सं०	रकवा	चौहदी	लीजवाद संख्या एवं वर्ष	स्वीकृत लीज की अवधि	लगान कब तक भुगतान है
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
017	19	0-4-17-0	मौजी साह व सौखी साह	बदरी साह	रसुल गंज	17	0-16-3-8		187/25-26	1955-56	
	17	0-4-1-8									
	27	0-7-5-0									
		0-16-3-8									
सर्वेक्षण के पश्चात किन व्यक्तियों / संस्था का कब्जा है।						लीज/केवाला/एटोर्नी पावर या अन्य प्रकार से है का उल्लेख करें	अवशेष रकवा	क्या सर्वेक्षित खसरा का कोई भाग अतिक्रमणकारी का नाम एवं पूरा पता	अगर अतिक्रमण है तो अतिक्रमणकारी जमीन का रकवा, नक्सा/चौहदी के साथ	सर्वेक्षित खेसरा पर सरकारी भवन/ संस्था है तो उसका नाम एवं पता, दखल का आधार चौहदी के साथ उल्लेख करें	
नाम	पिता का नाम	पता	रकवा	चौहदी	लीज/केवाला/एटोर्नी पावर या अन्य प्रकार से है का उल्लेख करें	अवशेष रकवा	क्या सर्वेक्षित खसरा का कोई भाग अतिक्रमणकारी का नाम एवं पूरा पता	अगर अतिक्रमण है तो अतिक्रमणकारी जमीन का रकवा, नक्सा/चौहदी के साथ	सर्वेक्षित खेसरा पर सरकारी भवन/ संस्था है तो उसका नाम एवं पता, दखल का आधार चौहदी के साथ उल्लेख करें		
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
अर्जुन साह	स्व० हरि साह	रसुलगंज गोरीपुर	0-1-0 खेसरा न०-19	उ०- रास्ता	केवाला न० 730						
				द०-नरेश यादव वगैरह	दि०- 13.2.90						
				पु०- सुबोध यादव							
				प०- यमुना यादव							
सर्वेक्षित खेसरा आवासीय है या व्यावसायिक , आंशिक या पूर्ण , पूर्ण व्योरा के साथ उल्लेख करें				कुल रकवा या अवशेष रकवा	अभ्युक्ति						
24				25	26						
आवासीय					शर्त का उल्लंघन किया है ।						

खासमहाल क्षेत्र का सर्वेक्षण प्रपत्र

महाल का नाम मिल्ट्री बाजार रसुल गंज

तोजी न० 1333

खासमहाल खतियान के अनुसार जमीन का व्योरा

अभिलेख के अनुसार लीजधारी का व्यौरा

खाता	खेसरा	रकवा	नाम	पिता का नाम	पता	जमाबंदी सं०	रकवा	चौहदी	लीजवाद संख्या एवं वर्ष	स्वीकृत लीज की अवधि	लगान कब तक भुगतान है
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
017	27	0-7-5-0	मौजी साह व सौखी साह	बदरी साह	रसुल गंज	17	0-16-3-8		187/25-26	1955-56	

सर्वेक्षण के पश्चात किन व्यक्तियों / संस्था का कब्जा है।
--

नाम	पिता का नाम	पता	रकवा	चौहदी	लीज/केवाला/एटोर्नी पावर या अन्य प्रकार से है का उल्लेख करें	अवशेष रकवा	क्या सर्वेक्षित खसरा का कोई भाग अतिक्रमणकारी का नाम एवं पूरा पता	अगर अतिक्रमणकारी है तो अतिक्रमणकारी जमीन का रकवा, नक्सा/चौहदी के साथ	सर्वेक्षित खेसरा पर सरकारी भवन/ संस्था है तो उसका नाम एवं पता, दखल का आधार चौहदी के साथ उल्लेख करें
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
पंकज कुमार व प्रदीप कुमार	कृष्ण मोहन नायक	रसुलगंज गौरीपुर	0-3-12-10	उ०- रास्ता	केवाला न०- 2916				
			या 06.5 डि०	द०- रास्ता	दिनांक-8.7.99				
				पु०- रास्ता					
				प०- ललिता देवी					

सर्वेक्षित खेसरा आवासीय है या व्यावसायिक , आंशिक या पूर्ण , पूर्ण व्योरा के साथ उल्लेख करें

कुल रकवा या अवशेष रकवा

अभ्युक्ति

24	25	26
भीठ		शर्त का उल्लंघन किया गया है ।

खास महाल पदाधिकारी , मुंगेर

अपर समाहर्ता , मुंगेर

खासमहाल क्षेत्र का सर्वेक्षण प्रपत्र

महाल का नाम मिल्ट्री बाजार रसुल गंज				तोजी न० 1333							
खसमहाल खतियान के अनुसार जमीन का व्योरा				अभिलेख के अनुसार लीजधारी का व्यौरा							
खाता	खेसरा	रकवा	नाम	पिता का नाम	पता	जमाबंदी सं०	रकवा	चौहदी	लीजवाद संख्या एवं वर्ष	स्वीकृत लीज की अवधि	लगान कब तक भुगतान है
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
017	27	0-7-5-0	मौजी साह व सौखी साह	बदरी साह	रसुलगंज	17	0-16-3-8		187/25-26	1955-56	
सर्वेक्षण के पश्चात किन व्यक्तियों / संस्था का कब्जा है।						लीज/केवाला/एटोर्नी पावर या अन्य प्रकार से है का उल्लेख करें	अवशेष रकवा	क्या सर्वेक्षित खसरा का कोई भाग अतिक्रमणकारी का नाम एवं पूरा पता	अगर अतिक्रमणकारी है तो अतिक्रमणकारी जमीन का रकवा, नक्सा/चौहदी के साथ	सर्वेक्षित खेसरा पर सरकारी भवन/ संस्था है तो उसका नाम एवं पता, दखल का आधार चौहदी के साथ उल्लेख करें	
नाम	पिता का नाम	पता	रकवा	चौहदी	लीज/केवाला/एटोर्नी पावर या अन्य प्रकार से है का उल्लेख करें	अवशेष रकवा	क्या सर्वेक्षित खसरा का कोई भाग अतिक्रमणकारी का नाम एवं पूरा पता	अगर अतिक्रमणकारी है तो अतिक्रमणकारी जमीन का रकवा, नक्सा/चौहदी के साथ	सर्वेक्षित खेसरा पर सरकारी भवन/ संस्था है तो उसका नाम एवं पता, दखल का आधार चौहदी के साथ उल्लेख करें		
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
ललिता देवी	कृष्ण मोहन नायक	रसुल गंज गौरीपुर	0-3-12-10	उ०- रास्ता	केवाला न०- 2917/दिनांक 8.7.99						
			या 06.5 डी०	द०- रास्ता							
				पु०- पंकज कुमार							
				प०- अर्जुन नायक वो यमुना नायक							
सर्वेक्षित खेसरा आवासीय है या व्यावसायिक , आंशिक या पूर्ण , पूर्ण व्योरा के साथ उल्लेख करें				कुल रकवा या अवशेष रकवा	अभ्युक्ति						
24				25	26						
भीट				शर्त का उल्लंघन किया है ।							

खास महाल पदाधिकारी , मुंगेर

अपर समाहर्ता , मुंगेर

खासमहाल क्षेत्र का सर्वेक्षण प्रपत्र

महाल का नाम मिल्ट्री बाजार रसुल गंज				तोजी न० 1333									
खसमहाल खतियान के अनुसार जमीन का व्योरा				अभिलेख के अनुसार लीजधारी का व्यौरा									
खाता	खेसरा	रकवा	नाम	पिता का नाम	पता	जमाबंदी सं०	रकवा	चौहदी	लीजवाद संख्या एवं वर्ष	स्वीकृत लीज की अवधि	लगान कब तक भुगतान है		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
018	25	0-3-3-8	मोहर साव व मुशाय साव	झोटीलाल साह वो एकलाल साह	रसुलगंज	18	0-3-3-8		188/25-26	1955-56			
	21	0-8-7-0	काली साह	आलम साह		04	0-4-10		174/25-26	1955-56			
सर्वेक्षण के पश्चात किन व्यक्तियों / संस्था का कब्जा है।									लीज/केवाला/एटौनी पावर या अन्य प्रकार से है का उल्लेख करें	अवशेष रकवा	क्या सर्वेक्षित खसरा का कोई भाग अतिक्रमणकारी का नाम एवं पूरा पता	अगर अतिक्रमणकारी है तो अतिक्रमणकारी जमीन का रकवा, नक्सा/चौहदी के साथ	सर्वेक्षित खेसरा पर सरकारी भवन/ संस्था है तो उसका नाम एवं पता, दखल का आधार चौहदी के साथ उल्लेख करें
नाम	पिता का नाम	पता	रकवा	चौहदी	19	20	21	22	23				
मोहन साह	स्व० मुशाय साह उर्फ मुशो साह	रसुलगंज गौरीपुर	खे० न०- 25	उ०-रास्ता द०- महेन्द्र साह पु०- निज प०- रास्ता	लीजधारी का पोता								
			0-1-11-14	उ०- रास्ता द०- सुदामा देवी पु०- सुदामा देवी प०- निज	केवाला न०- 19								
			0-1-16-0 खे० न०- 21		दि०- 03-01.56								
			0-3-7-14										
सर्वेक्षित खेसरा आवासीय है या व्यावसायिक , आंशिक या पूर्ण , पूर्ण व्योरा के साथ उल्लेख करें				कुल रकवा या अवशेष रकवा	अभ्युक्ति								
24				25	26								
आवासीय वो सहन					शर्त का उल्लंघन किया है। खतियान में खसरा न० 21 का रकवा 0.8.7.0 है जो गलत है। नापी से सही रकवा 0.2.8.02 होता है।								

खासमहाल क्षेत्र का सर्वेक्षण प्रपत्र

महाल का नाम मिल्ट्री बाजार रसुल गंज				तोजी न० 1333							
खसमहाल खतियान के अनुसार जमीन का व्योरा				अभिलेख के अनुसार लीजधारी का व्यौरा							
खाता	खेसरा	रकवा	नाम	पिता का नाम	पता	जमाबंदी सं०	रकवा	चौहदी	लीजवाद संख्या एवं वर्ष	स्वीकृत लीज की अवधि	लगान कब तक भुगतान है
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
019	53	0-5-3-14	लुटन साह	लालजी साह	रसुलगंज	20	0-12-8-0		190/25-26	1955	
020	54	0-1-19-12	लुटन साह	लालजी साह		21	0-1-19-12		191/25-26	1955	
सर्वेक्षण के पश्चात किन व्यक्तियों / संस्था का कब्जा है।						लीज/केवाला/एटोर्नी पावर या अन्य प्रकार से है का उल्लेख करें	अवशेष रकवा	क्या सर्वेक्षित खसरा का कोई भाग अतिक्रमणकारी का नाम एवं पूरा पता	अगर अतिक्रमणकारी है तो अतिक्रमणकारी जमीन का रकवा, नक्सा/चौहदी के साथ	सर्वेक्षित खेसरा पर सरकारी भवन/ संस्था है तो उसका नाम एवं पता, दखल का आधार चौहदी के साथ उल्लेख करें	
नाम	पिता का नाम	पता	रकवा	चौहदी							
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
पंचानन्द यादव	स्व० अक्कलु यादव	रसुल गंज गौरीपुर	0-2-1-13	उ०- नरेश यादव	केवाला न०- 7061						
श्रवण कुमार यादव	स्व० सुखदेव यादव		खे० न० 53 वो 54	द०- सडक	दि० 14-11-70						
				पु०- नीज वो सीमाना गौरीपुर							
				प०- दिलिप नायक							
सर्वेक्षित खेसरा आवासीय है या व्यावसायिक , आंशिक या पूर्ण , पूर्ण व्योरा के साथ उल्लेख करें				कुल रकवा या अवशेष रकवा	अभ्युक्ति						
24				25	26						
भीठ				खतियान में रकवा नहीं है। नापी के अनुसार खसरा न०-53 का रकवा 0.5.3.14 होता है।							

खासमहाल क्षेत्र का सर्वेक्षण प्रपत्र

महाल का नाम मिल्ट्री बाजार रसुल गंज				तोजी न० 1333							
खसमहाल खतियान के अनुसार जमीन का व्योरा				अभिलेख के अनुसार लीजधारी का व्यौरा							
खाता	खेसरा	रकवा	नाम	पिता का नाम	पता	जमाबंदी सं०	रकवा	चौहदी	लीजवाद संख्या एवं वर्ष	स्वीकृत लीज की अवधि	लगान कब तक भुगतान है
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
019	53	0-5-3-14	लुटन साह	लालजी साह	रसुलगंज	20	0-12-8-0		190/25-26	1955	
सर्वेक्षण के पश्चात किन व्यक्तियों / संस्था का कब्जा है।						लीज/केवाला/एटोर्नी पावर या अन्य प्रकार से है का उल्लेख करें	अवशेष रकवा	क्या सर्वेक्षित खसरा का कोई भाग अतिक्रमणकारी का नाम एवं पूरा पता	अगर अतिक्रमणकारी है तो अतिक्रमणकारी जमीन का रकवा, नक्सा/चौहदी के साथ	सर्वेक्षित खेसरा पर सरकारी भवन/ संस्था है तो उसका नाम एवं पता, दखल का आधार चौहदी के साथ उल्लेख करें	
नाम	पिता का नाम	पता	रकवा	चौहदी	19	20	21	22	23		
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
नरेश यादव व मनोज कुमार व राजीव रंजन	स्व० ब्रज किशोर यादव	रसुलगंज गौरीपुर	0-3-0-0	उ०- अर्जुन नायक							
सोहन यादव	स्व० वालदेव यादव			द०- पंचानन्द यादव व दिलिप नायक							
रंजीत यादव वगैरह	स्व० रोहन यादव			पु०- सिमाना गोरीपुर							
				प०- सडक							
सर्वेक्षित खेसरा आवासीय है या व्यावसायिक , आंशिक या पूर्ण , पूर्ण व्योरा के साथ उल्लेख करें				कुल रकवा या अवशेष रकवा	अभ्युक्ति						
24				25	26						
भीठ				कागज नहीं दिखया खतियान में रकवा नहीं लिखा गया है।नापी से रकवा 0.5.3.14 होता है।							

खासमहाल क्षेत्र का सर्वेक्षण प्रपत्र

महाल का नाम मिल्ट्री बाजार रसुल गंज				तोजी न० 1333							
खसमहाल खतियान के अनुसार जमीन का व्योरा				अभिलेख के अनुसार लीजधारी का व्यौरा							
खाता	खेसरा	रकवा	नाम	पिता का नाम	पता	जमाबंदी सं०	रकवा	चौहदी	लीजवाद संख्या एवं वर्ष	स्वीकृत लीज की अवधि	लगान कब तक भुगतान है
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
019	53	0-5-3-14	लुटन साह	लालजी साह	रसुल गंज	20	0-12-8-0		190/25-26	1955	
020	54	0-1-19-12	लुटन साह	लालजी साह		21	0-1-19-12		191/25-26	1955	
सर्वेक्षण के पश्चात किन व्यक्तियों / संस्था का कब्जा है।						लीज/केवाला/एटोर्नी पावर या अन्य प्रकार से है का उल्लेख करें	अवशेष रकवा	क्या सर्वेक्षित खसरा का कोई भाग अतिक्रमित है तो अतिक्रमणकारी का नाम एवं पूरा पता	अगर अतिक्रमित है तो अतिक्रमित जमीन का रकवा, नक्सा/चौहदी के साथ	सर्वेक्षित खेसरा पर सरकारी भवन/ संस्था है तो उसका नाम एवं पता, दखल का आधार चौहदी के साथ उल्लेख करें	
नाम	पिता का नाम	पता	रकवा	चौहदी							
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
दिलिप नायक वो	स्व० सरयुग नायक	रसुलगंज गौरीपुर	0-2-1-13	उ०- नरेश यादव	लीज उत्तराधिकारी						
प्रदीप नायक			खे० न० 53 वो 54	द०- सडक							
				पु०- पंचानन्द यादव							
				प०- सडक							
सर्वेक्षित खेसरा आवासीय है या व्यावसायिक , आंशिक या पूर्ण , पूर्ण व्योरा के साथ उल्लेख करें				कुल रकवा या अवशेष रकवा		अभ्युक्ति					
24				25		26					
भीठ						खतियान में रकवा दर्ज नहीं हैं। नापी के अनुसार खसरा न०-53 का रकवा 0.5.3.14 होता है।					

खासमहाल क्षेत्र का सर्वेक्षण प्रपत्र

महाल का नाम मिल्ट्री बाजार रसुल गंज				तोजी न० 1333							
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> खासमहाल खतियान के अनुसार जमीन का व्योरा </div>				<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> अभिलेख के अनुसार लीजधारी का व्यौरा </div>							
खाता	खेसरा	रकवा	नाम	पिता का नाम	पता	जमाबंदी सं०	रकवा	चौहदी	लीजवाद संख्या एवं वर्ष	स्वीकृत लीज की अवधि	लगान कब तक भुगतान है
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
020	20	0-0-0-6	गैरमजरूआ आम								
	26	0-6-7-0									
	50	0-1-13-12									
	55	0-0-8-8									
	32	0-3-2-4									
	कुल	0-11-11-10									
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> सर्वेक्षण के पश्चात किन व्यक्तियों / संस्था का कब्जा है। </div>						लीज/केवाला/एटोर्नी पावर या अन्य प्रकार से है का उल्लेख करें	अवशेष रकवा	क्या सर्वेक्षित खसरा का कोई भाग अतिक्रमणकारी का नाम एवं पूरा पता	अगर अतिक्रमणकारी है तो अतिक्रमणकारी जमीन का रकवा, नक्सा/चौहदी के साथ	सर्वेक्षित खेसरा पर सरकारी भवन/ संस्था है तो उसका नाम एवं पता, दखल का आधार चौहदी के साथ उल्लेख करें	
नाम	पिता का नाम	पता	रकवा	चौहदी	लीज	अवशेष रकवा	क्या सर्वेक्षित खसरा का कोई भाग अतिक्रमणकारी का नाम एवं पूरा पता	अगर अतिक्रमणकारी है तो अतिक्रमणकारी जमीन का रकवा, नक्सा/चौहदी के साथ	सर्वेक्षित खेसरा पर सरकारी भवन/ संस्था है तो उसका नाम एवं पता, दखल का आधार चौहदी के साथ उल्लेख करें		
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
पंचानन्द शर्मा	स्व० विलटु शर्मा	रसुल गंज गौरीपुर	0-0-8-8	उ०- सडक	अवैध दखल		पंचानंद शर्मा पे० स्व० विलटु शर्मा सा० गौरीपुर	नक्शा संगलन है।			
			खे० न० 55	द०- वासुदेव शर्मा							
				पु०- पंचानन्द शर्मा							
				प०- पंचानन्द शर्मा							
सर्वेक्षित खेसरा आवासीय है या व्यावसायिक , आंशिक या पूर्ण , पूर्ण व्योरा के साथ उल्लेख करें			कुल रकवा या अवशेष रकवा	अभ्युक्ति							
24			25	26							
बाडी			खेसरा न०- 55 गैरमजरूआ आम रास्ता का अतिक्रमण किया गया है ।								

खासमहाल क्षेत्र का सर्वेक्षण प्रपत्र

महाल का नाम मिल्ट्री बाजार रसुल गंज				तौजी न० 1333							
खसमहाल खतियान के अनुसार जमीन का व्योरा				अभिलेख के अनुसार लीजधारी का व्यौरा							
खाता	खेसरा	रकवा	नाम	पिता का नाम	पता	जमाबंदी सं०	रकवा	चौहदी	लीजवाद संख्या एवं वर्ष	स्वीकृत लीज की अवधि	लगान कब तक भुगतान है
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
021	23	0-1-4-0	मसो० कौशल्या देवी	गोपाल साह	हलीमपुर/ रसुलगंज	22	0-5-12-12		192/25-26	1955	
	24	0-4-8-12				18	0-3-3-8		188/25-26	1955	
		0-5-12-12									
	25	0-3-3-8	मोहर साह वो मुसाई साह	झोटी साह व एकलाल साह							
सर्वेक्षण के पश्चात किन व्यक्तियों / संस्था का कब्जा है।						लीज/केवाला/एटोर्नी पावर या अन्य प्रकार से है का उल्लेख करें	अवशेष रकवा	क्या सर्वेक्षित खसरा का कोई भाग अतिक्रमणकारी का नाम एवं पूरा पता	अगर अतिक्रमणकारी है तो अतिक्रमणकारी जमीन का रकवा, नक्सा/चौहदी के साथ	सर्वेक्षित खेसरा पर सरकारी भवन/ संस्था है तो उसका नाम एवं पता, दखल का आधार चौहदी के साथ उल्लेख करें	
नाम	पिता का नाम	पता	रकवा	चौहदी	लीज/केवाला/एटोर्नी पावर या अन्य प्रकार से है का उल्लेख करें	अवशेष रकवा	क्या सर्वेक्षित खसरा का कोई भाग अतिक्रमणकारी का नाम एवं पूरा पता	अगर अतिक्रमणकारी है तो अतिक्रमणकारी जमीन का रकवा, नक्सा/चौहदी के साथ	सर्वेक्षित खेसरा पर सरकारी भवन/ संस्था है तो उसका नाम एवं पता, दखल का आधार चौहदी के साथ उल्लेख करें		
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
महेन्द्र साह	स्व० चमरू साह	रसुल गंज गौरीपुर	0-7-4-06	उ०- मोहन साव	केवाला न०/3501						
				द०- सडक	13-6-63						
				पु०- गली							
				प०- सडक							
सर्वेक्षित खेसरा आवासीय है या व्यावसायिक , आंशिक या पूर्ण , पूर्ण व्योरा के साथ उल्लेख करें				कुल रकवा या अवशेष रकवा	अभ्युक्ति						
24				25	26						
आवासीय					खेसरा न० 25 लीजधारी के वंशज एवं खेसरा न०- 23.24 खरीदगी हैं ।						

खासमहाल क्षेत्र का सर्वेक्षण प्रपत्र

महाल का नाम मिल्ट्री बाजार रसुल गंज				तोजी न० 1333							
खसमहाल खतियान के अनुसार जमीन का व्योरा				अभिलेख के अनुसार लीजधारी का व्यौरा							
खाता	खेसरा	रकवा	नाम	पिता का नाम	पता	जमाबंदी सं०	रकवा	चौहदी	लीजवाद संख्या एवं वर्ष	स्वीकृत लीज की अवधि	लगान कब तक भुगतान है
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
022	31	1-9-15-8	श्याम मिस्त्री	डोमन मिस्त्री	रसुल गंज	23	1-6-7-8		193/25-26	1955	
	33										
	36										
	37										
सर्वेक्षण के पश्चात किन व्यक्तियों / संस्था का कब्जा है।						लीज/केवाला/एटोर्नी पावर या अन्य प्रकार से है का उल्लेख करें	अवशेष रकवा	क्या सर्वेक्षित खसरा का कोई भाग अतिक्रमणकारी का नाम एवं पूरा पता	अगर अतिक्रमणकारी है तो अतिक्रमणकारी जमीन का रकवा, नक्सा/चौहदी के साथ	सर्वेक्षित खेसरा पर सरकारी भवन/ संस्था है तो उसका नाम एवं पता, दखल का आधार चौहदी के साथ उल्लेख करें	
नाम	पिता का नाम	पता	रकवा	चौहदी	लीज/केवाला/एटोर्नी पावर या अन्य प्रकार से है का उल्लेख करें	अवशेष रकवा	क्या सर्वेक्षित खसरा का कोई भाग अतिक्रमणकारी का नाम एवं पूरा पता	अगर अतिक्रमणकारी है तो अतिक्रमणकारी जमीन का रकवा, नक्सा/चौहदी के साथ	सर्वेक्षित खेसरा पर सरकारी भवन/ संस्था है तो उसका नाम एवं पता, दखल का आधार चौहदी के साथ उल्लेख करें		
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
महेन्द्र साह	स्व० चमरू साह	रसुलगंज गौरीपुर	0-1-7-0	उ०- सडक	मौखिक बदलेन						
				द०- अर्जुन नायक							
				पु०- सडक							
				प०- उमाचरण शर्मा							
सर्वेक्षित खेसरा आवासीय है या व्यावसायिक , आंशिक या पूर्ण , पूर्ण व्योरा के साथ उल्लेख करें				कुल रकवा या अवशेष रकवा	अभ्युक्ति						
24				25	26						
भीठ					शर्त का उल्लंघन किया गया है। मौखिक बदलेन खसरा न० 34 से है।						

खास महाल पदाधिकारी , मुंगेर

अपर समाहर्ता , मुंगेर

खासमहाल क्षेत्र का सर्वेक्षण प्रपत्र

महाल का नाम मिल्ट्री बाजार रसुल गंज				तोजी न० 1333										
खसमहाल खतियान के अनुसार जमीन का व्योरा				अभिलेख के अनुसार लीजधारी का व्यौरा										
खाता	खेसरा	रकवा	नाम	पिता का नाम	पता	जमाबंदी सं०	रकवा	चौहदी	लीजवाद संख्या एवं वर्ष	स्वीकृत लीज की अवधि	लगान कब तक भुगतान है			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
022	31	0-6-1-0	पंचानन्द शर्मा	बिल्डु शर्मा	गौरीपुर रसुलगंज	26	0-3-8-0		208/64-65	1955				
022	33	0-14-10	पंचानंद शर्मा	बिल्डु शर्मा		05	0-4-7-8		190/25-26					
005	43	0-4-7-8	लुटन साह	लालजी साह										
सर्वेक्षण के पश्चात किन व्यक्तियों / संस्था का कब्जा है।						लीज/केवाला/एटोर्नी पावर या अन्य प्रकार से है का उल्लेख करें	अवशेष रकवा	क्या सर्वेक्षित खसरा का कोई भाग अतिक्रमणकारी का नाम एवं पूरा पता	अगर अतिक्रमणकारी का नाम एवं पूरा पता	सर्वेक्षित खेसरा पर सरकारी भवन/ संस्था है तो उसका नाम एवं पता, दखल का आधार चौहदी के साथ उल्लेख करें				
नाम	पिता का नाम	पता	रकवा	चौहदी	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
पंचानन्द शर्मा	स्व० विलडु शर्मा	रसुलगंज गौरीपुर	0-8-4-8	उ०- सडक										
				द०- प्रकाश नायक						केवाला न० 8921 दिनांक 30.11.74				
				पु०- महेन्द्र साव व विशनु नायक						केवाला न० 5398 दि० 02.11.61				
				प०- वासुदेव शर्मा व भागवत शर्मा						केवाला न० 6063 दि० 31.10.68				
सर्वेक्षित खेसरा आवासीय है या व्यावसायिक , आंशिक या पूर्ण , पूर्ण व्योरा के साथ उल्लेख करें				कुल रकवा या अवशेष रकवा				अभ्युक्ति						
24				25				26						
आवासीय एवं बाडी								केवाला न० 8921 /30.11.74 में खसरा न० 33 अंकित हैं जो गलत है। सही खसरा न० 31 है जो दखल में है।						

खासमहाल क्षेत्र का सर्वेक्षण प्रपत्र

महाल का नाम मिल्ट्री बाजार रसुल गंज				तोजी न० 1333								
खसमहाल खतियान के अनुसार जमीन का व्योरा				अभिलेख के अनुसार लीजधारी का व्यौरा								
खाता	खेसरा	रकवा	नाम	पिता का नाम	पता	जमाबंदी सं०	रकवा	चौहदी	लीजवाद संख्या एवं वर्ष	स्वीकृत लीज की अवधि	लगान कब तक भुगतान है	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
022	33	0-14-10-0	श्याम मिस्त्री	डोमन मिस्त्री	रसुल गंज	23	1-6-7-8		193/25-26	1955		
	36											
सर्वेक्षण के पश्चात किन व्यक्तियों / संस्था का कब्जा है।								लीज/केवाला/एटोर्नी पावर या अन्य प्रकार से है का उल्लेख करें	अवशेष रकवा	क्या सर्वेक्षित खसरा का कोई भाग अतिक्रमित है तो अतिक्रमणकारी का नाम एवं पूरा पता	अगर अतिक्रमित है तो अतिक्रमित जमीन का रकवा, नक्सा/चौहदी के साथ	सर्वेक्षित खेसरा पर सरकारी भवन/ संस्था है तो उसका नाम एवं पता, दखल का आधार चौहदी के साथ उल्लेख करें
नाम	पिता का नाम	पता	रकवा	चौहदी								
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
भागवत शर्मा	स्व० नसीव शर्मा	रसुलगंज गौरीपुर	0-7-6-13	उ०- सडक द० बैजनाथ शर्मा पु०- पंचानंद शर्मा प०- निज	लीज उत्तराधिकारी							
				उ०-सिताबी शर्मा द०- सडक पु०- वासुदेव शर्मा प०- सडक								
सर्वेक्षित खेसरा आवासीय है या व्यावसायिक , आंशिक या पूर्ण , पूर्ण व्योरा के साथ उल्लेख करें				कुल रकवा या अवशेष रकवा	अभ्युक्ति							
24				25	26							
बाडी एवं आवासीय					लीज धारी के उत्तराधिकारी							

खासमहाल क्षेत्र का सर्वेक्षण प्रपत्र

महाल का नाम मिल्ट्री बाजार रसुल गंज				तोजी न० 1333							
खसमहाल खतियान के अनुसार जमीन का व्योरा				अभिलेख के अनुसार लीजधारी का व्यौरा							
खाता	खेसरा	रकवा	नाम	पिता का नाम	पता	जमाबंदी सं०	रकवा	चौहदी	लीजवाद संख्या एवं वर्ष	स्वीकृत लीज की अवधि	लगान कब तक भुगतान है
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
022	33	0-14-10-0	श्याम मिस्त्री	डोमन मिस्त्री	रसुल गंज	23	1-6-7-8		193/25-26	1955	
सर्वेक्षण के पश्चात किन व्यक्तियों / संस्था का कब्जा है।						लीज/केवाला/एटोर्नी पावर या अन्य प्रकार से है का उल्लेख करें	अवशेष रकवा	क्या सर्वेक्षित खसरा का कोई भाग अतिक्रमणकारी का नाम एवं पूरा पता	अगर अतिक्रमणकारी है तो अतिक्रमणकारी जमीन का रकवा, नक्सा/चौहदी के साथ	सर्वेक्षित खेसरा पर सरकारी भवन/ संस्था है तो उसका नाम एवं पता, दखल का आधार चौहदी के साथ उल्लेख करें	
नाम	पिता का नाम	पता	रकवा	चौहदी							
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
हेमचन्द्र शर्मा रामु शर्मा	स्व० हरिलाल शर्मा	रसुल गंज गौरीपुर	0-2-0	उ०- भागवत शर्मा	लीज उत्तराधिकारी						
दीपक शर्मा मनोज शर्मा बब्लु शर्मा	स्व० हीरण शर्मा			द०- वासुदेव शर्मा							
र्वजनाथ शर्मा	स्व० सीतावी शर्मा			पु०- पंचानन्द शर्मा							
				प०- भागवत शर्मा							
सर्वेक्षित खेसरा आवासीय है या व्यावसायिक , आंशिक या पूर्ण , पूर्ण व्योरा के साथ उल्लेख करें				कुल रकवा या अवशेष रकवा	अभ्युक्ति						
24				25	26						
आवासीय					लीज धारी के उत्तराधिकारी						

खास महाल पदाधिकारी , मुंगेर

अपर समाहर्ता , मुंगेर

खासमहाल क्षेत्र का सर्वेक्षण प्रपत्र

महाल का नाम मिल्डी बाजार रसुल गंज				तोजी न० 1333											
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> खसमहाल खतियान के अनुसार जमीन का व्योरा </div>				<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> अभिलेख के अनुसार लीजधारी का व्यौरा </div>											
खाता	खेसरा	रकवा	नाम	पिता का नाम	पता	जमाबंदी सं०	रकवा	चौहदी	लीजवाद संख्या एवं वर्ष	स्वीकृत लीज की अवधि	लगान कब तक भुगतान है				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
022	33	0-14-10	श्याम मिस्त्री	डोमन मिस्त्री	रसुलगंज	23	1-6-7-8		193/25-26	1955					
019	38	0-2-14	मोहन साह	झोटी साह		19	0-2-14-0		189/25-26	1955					
011	39	0-3-13-0	दर्शन साह वो अमृत साह	झल्लु साह		11	0-4-1-8		181/25-26	1955					
			लुटन साह	लालजी साह											
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> सर्वेक्षण के पश्चात किन व्यक्तियों / संस्था का कब्जा है। </div>						<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> लीज/केवाला/एटोर्नी पावर या अन्य प्रकार से है का उल्लेख करें </div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> अवशेष रकवा </div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> क्या सर्वेक्षित खसरा का कोई भाग अतिक्रमणकारी का नाम एवं पूरा पता </div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> अगर अतिक्रमणकारी है तो अतिक्रमणकारी जमीन का रकवा, नक्सा/चौहदी के साथ </div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> सर्वेक्षित खेसरा पर सरकारी भवन/ संस्था है तो उसका नाम एवं पता, दखल का आधार चौहदी के साथ उल्लेख करें </div>	
नाम	पिता का नाम	पता	रकवा	चौहदी											
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
वासुदेव शर्मा	स्व० बनारसी शर्मा	रसुलगंज गौरीपुर	0-9-19-0	उ०- वैजनाथ शर्मा द० निज पू० निज प० अर्जुन नायक	लीज उत्तराधिकारी एवं केवाला										
			खसरा न०-33,38,39	उ०- नीज द० सडक											
				पु०-जगमोहन नायक प० निज खे० न० 39 की चौहदी											
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> सर्वेक्षित खेसरा आवासीय है या व्यावसायिक , आंशिक या पूर्ण , पूर्ण व्योरा के साथ उल्लेख करें </div>				<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> कुल रकवा या अवशेष रकवा </div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> अभ्युक्ति </div>									
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> 24 </div>				<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> 25 </div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> 26 </div>									
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> आवासीय एवं बाडी </div>						<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> शर्त का उल्लंघन किया है खेसरा न० 39 केवाला संख्या 1142 दिनांक 28-4-52 के द्वारा प्राप्त है। </div>									
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> आवासीय एवं बाडी </div>															
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> आवासीय एवं बाडी </div>															
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> आवासीय एवं बाडी </div>															

खासमहाल क्षेत्र का सर्वेक्षण प्रपत्र

महाल का नाम मिल्ट्री बाजार रसुल गंज				तोजी न० 1333							
खसमहाल खतियान के अनुसार जमीन का व्योरा				अभिलेख के अनुसार लीजधारी का व्यौरा							
खाता	खेसरा	रकवा	नाम	पिता का नाम	पता	जमाबंदी सं०	रकवा	चौहदी	लीजवाद संख्या एवं वर्ष	स्वीकृत लीज की अवधि	लगान कब तक भुगतान है
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
022	36	0-5-9-0	श्याम मिस्त्री	डोमन मिस्त्री	रसुल गंज	23	1-6-7-8		193/25-26	1955	
	37	0-3-15-18									
सर्वेक्षण के पश्चात किन व्यक्तियों / संस्था का कब्जा है।						लीज/केवाला/एटोर्नी पावर या अन्य प्रकार से है का उल्लेख करें	अवशेष रकवा	क्या सर्वेक्षित खसरा का कोई भाग अतिक्रमणकारी का नाम एवं पूरा पता	अगर अतिक्रमण है तो अतिक्रमणकारी जमीन का रकवा, नक्सा/चौहदी के साथ	सर्वेक्षित खेसरा पर सरकारी भवन/ संस्था है तो उसका नाम एवं पता, दखल का आधार चौहदी के साथ उल्लेख करें	
नाम	पिता का नाम	पता	रकवा	चौहदी							
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
वासुदेव शर्मा व सुधीर शर्मा	स्व० बनारसी शर्मा	रसुल गंज	0-6-3-5 खसरा न० 36,37	उ०- भागवत शर्मा द०- सडक पु०- वासुदेव शर्मा प०- सडक	लीज उत्तराधिकारी						
सर्वेक्षित खेसरा आवासीय है या व्यावसायिक, आंशिक या पूर्ण, पूर्ण व्योरा के साथ उल्लेख करें			कुल रकवा या अवशेष रकवा	अभ्युक्ति							
24			25	26							
आवासीय			लीजधारी के उत्तराधिकारी। खसरा न० 37 का रकवा नक्शा में कम है।								

खासमहाल क्षेत्र का सर्वेक्षण प्रपत्र

महाल का नाम मिल्ट्री बाजार रसुल गंज				तोजी न० 1333							
खसमहाल खतियान के अनुसार जमीन का व्योरा				अभिलेख के अनुसार लीजधारी का व्यौरा							
खाता	खेसरा	रकवा	नाम	पिता का नाम	पता	जमाबंदी सं०	रकवा	चौहदी	लीजवाद संख्या एवं वर्ष	स्वीकृत लीज की अवधि	लगान कब तक भुगतान है
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
023	18	0-3-13	हरलु साह सुडी	गुजु साह	रसुल गंज	24	0-3-13-0		194/25-26	1955-56	
सर्वेक्षण के पश्चात किन व्यक्तियों / संस्था का कब्जा है।						लीज/केवाला/एटोर्नी पावर या अन्य प्रकार से है का उल्लेख करें	अवशेष रकवा	क्या सर्वेक्षित खसरा का कोई भाग अतिक्रमणकारी का नाम एवं पूरा पता	अगर अतिक्रमणकारी है तो अतिक्रमणकारी जमीन का रकवा, नक्सा/चौहदी के साथ	सर्वेक्षित खेसरा पर सरकारी भवन/ संस्था है तो उसका नाम एवं पता, दखल का आधार चौहदी के साथ उल्लेख करें	
नाम	पिता का नाम	पता	रकवा	चौहदी	19	20	21	22	23		
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
कृष्ण मोहन नायक ओम प्रकाश नायक	स्व० रधुनन्दन नायक	रसुलगंज गौरीपुर	0-1-16-10	उ०- यमुना नायक	लीजधारी के पौत्र						
			0-1-16-10	द०- रास्ता							
			0-3-13-0	पु०- यमुना नायक							
				प०- गली							
सर्वेक्षित खेसरा आवासीय है या व्यावसायिक , आंशिक या पूर्ण , पूर्ण व्योरा के साथ उल्लेख करें				कुल रकवा या अवशेष रकवा	अभ्युक्ति						
24				25	26						
आवासीय				लीज धारी के उत्तराधिकारी दखलकार है।							

खासमहाल क्षेत्र का सर्वेक्षण प्रपत्र

महाल का नाम मिल्ट्री बाजार रसुल गंज				तोजी न० 1333							
खसमहाल खतियान के अनुसार जमीन का व्योरा				अभिलेख के अनुसार लीजधारी का व्योरा							
खाता 2	खेसरा 3	रकवा 4	नाम 5	पिता का नाम 6	पता 7	जमाबंदी सं० 8	रकवा 9	चौहदी 10	लीजवाद संख्या एवं वर्ष 11	स्वीकृत लीज की अवधि 12	लगान कब तक भुगतान है 13
025	4	0-4-3-16			रसुलगंज	25 बनाम बंगाली पासवान पे० गोपाल पासवान	0-4-3-16 आवासीय				
सर्वेक्षण के पश्चात किन व्यक्तियों / संस्था का कब्जा है।						लीज/केवाला/एटोर्नी पावर या अन्य प्रकार से है का उल्लेख करें	अवशेष रकवा	क्या सर्वेक्षित खसरा का कोई भाग अतिक्रमणकारी का नाम एवं पूरा पता	अगर अतिक्रमणकारी है तो अतिक्रमणकारी जमीन का रकवा, नक्सा/चौहदी के साथ	सर्वेक्षित खेसरा पर सरकारी भवन/ संस्था है तो उसका नाम एवं पता, दखल का आधार चौहदी के साथ उल्लेख करें	
नाम 14	पिता का नाम 15	पता 16	रकवा 17	चौहदी 18	19	20	21	22	23		
सुनैना देवी	कपिलदेव पासवान	गौरीपुर	0-4-3-16	उ०- सिमाना गोरीपुर	केवाला जर बियाना						
				द०- परमेश्वर पासवान							
				पु०- लक्ष्मी पासवान							
				प०- ललित कुमार सिंह वगैरह							
सर्वेक्षित खेसरा आवासीय है या व्यावसायिक , आंशिक या पूर्ण , पूर्ण व्योरा के साथ उल्लेख करें				कुल रकवा या अवशेष रकवा		अभ्युक्ति					
24				25		26					
भीट आवासीय						लीजधारी का पता नहीं चला। शर्त का उल्लंघन किया गया है।					

खास महाल पदाधिकारी , मुंगेर

अपर समाहर्ता , मुंगेर

खासमहाल क्षेत्र का सर्वेक्षण प्रपत्र

महाल का नाम मिल्द्री बाजार रसुल गंज				तौजी न० 1333											
खसमहाल खतियान के अनुसार जमीन का व्योरा				अभिलेख के अनुसार लीजधारी का व्योरा											
खाता	खेसरा	रकवा	नाम	पिता का नाम	पता	जमाबंदी सं०	रकवा	चौहदी	लीजवाद संख्या एवं वर्ष	स्वीकृत लीज की अवधि	लगान कब तक भुगतान है				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
03	34	0-2-8-0	सितावी मिस्त्री	मुंशी मिस्त्री	रसुल गंज	3	0-4-15-0		120/29-30						
	35	0-2-8-0													
		0-4-16													
सर्वेक्षण के पश्चात किन व्यक्तियों / संस्था का कब्जा है।											लीज/केवाला/एटोर्नी पावर या अन्य प्रकार से है का उल्लेख करें	अवशेष रकवा	क्या सर्वेक्षित खसरा का कोई भाग अतिक्रमणकारी का नाम एवं पूरा पता	अगर अतिक्रमण है तो अतिक्रमण जमीन का रकवा, नक्सा/चौहदी के साथ	सर्वेक्षित खेसरा पर सरकारी भवन/ संस्था है तो उसका नाम एवं पता, दखल का आधार चौहदी के साथ उल्लेख करें
नाम	पिता का नाम	पता	रकवा	चौहदी	लीज	20	21	22	23						
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
हेमचन्द्र शर्मा व रामु शर्मा	स्व० हरिलाल शर्मा	रसुलगंज गोरीपुर	खेसरा न० 34 0-0-18	उ०- भागवत शर्मा	लीज उत्तराधिकारी										
वैजनाथ शर्मा	स्व० सीतावी शर्मा		0-2-08 खे० न० 35	द०-भागवत शर्मा											
मनोज शर्मा दीपक शर्मा	स्व० हिरण शर्मा		0-3-6-0	पु०- वासुदेव शर्मा											
बबलु शर्मा				प०- सडक											
सर्वेक्षित खेसरा आवासीय है या व्यावसायिक , आंशिक या पूर्ण , पूर्ण व्योरा के साथ उल्लेख करें				कुल रकवा या अवशेष रकवा			अभ्युक्ति								
आवासीय							लीज धारी के उत्तराधिकारी								